RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष २, अंक ५] **गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०१६/श्रावण २०-२६, शके १९३८** **[पृष्ठे ४०**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७, सन् २०१३.—महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन् २०१३.—महाराष्ट्र पशुधन सुधार (संशोधन) अधिनियम, २०१३ . .	४
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९, सन् २०१३.—महाराष्ट्र स्ववित्तपोषीत विद्यालय (स्थापना और विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३	५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०, सन् २०१३.—महाराष्ट्र कृषि, पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान, स्वास्थ विज्ञान, उच्चतर तकनिकि और व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन की अनधिकृत संस्थाओं और अनधिकृत पाठ्यक्रमों (प्रतिषेध) अधिनियम, २०१३	८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन् २०१३.—महाराष्ट्र खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम,२०१३	१७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२, सन् २०१३.—महाराष्ट्र देवदासी प्रथा (उन्मूलन) (संशोधन) अधिनियम, २०१३	१८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सन् २०१३.—महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग तथा पराचिकित्सा शिक्षा अधिनियम, २०१३	१९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, सन् २०१३.—महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यकी पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१३	३९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५, सन् २०१३.—बम्बई दुकान तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, २०११ . .	४०

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2013.

THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १३ अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES ACT, 1994.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक १३ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१३, २१ जून २०१३ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९९४ का ३५ । सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ९।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए।

(२) यह २१ जून २०१३ को प्रवृत हुआ समझा जायेगा।

सन् १९९४ का महा. ३५ की धारा ८२ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ८२ की, उप-धारा (५क) के पश्चात् , निम्न उप-धाराएँ निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९९४का महा. ३५। सन् २०१३ का महा. १७।

"(५ख) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ के प्रारम्भण के दिनांक को और से,—

(क) कोई भी प्रबंधमंडल, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के सिवाय राज्य में उच्चतर अध्ययन के नवीन महाविद्यालय या कोई संस्था स्थापित या शुरू नहीं करेगा ;

(ख) कोई भी प्रबंधमंडल राज्य सरकार की पूर्वानुमति के सिवाय अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रम, विषय, संकाय या अतिरिक्त प्रभाग शुरू नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, " उच्चतर अध्ययन के लिये नया महाविद्यालय या संस्था स्थापित करने या शुरू करने " और " अध्ययन का नवीन पाठ्यक्रम, विषय, संकाय या अतिरिक्त प्रभाग शुरू करने ", की अभिव्यक्ति राज्य सरकार से असहायता, अनुदान के आधार पर, उच्चतर अध्ययन के ऐसे किसी महाविद्यालय या किसी संस्था को स्थापित करने या शुरू करने से है और अध्ययन का ऐसा कोई पाठ्यक्रम, विषय, संकाय या अतिरिक्त प्रभाग शुरू करना सम्मिलित किया जायेगा ।

(५ग) उप-धारा (५) के द्वितीय परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अकादमिक वर्ष २०१३-२०१४ के लिये, राज्य सरकार से ऐसी मंजूरी १५ जुलाई २०१३ को या के पूर्व विश्वविद्यालय को संसूचित की जायेगी और विश्वविद्यालय द्वारा उसी अकादमिक वर्ष में प्रभावी होगी।"।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ९।

३. (१) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१३ का महा. अध्या.क्र. ९ का निरसन और व्यावृत्ति ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2013.

THE MAHARASHTRA LIVE-STOCK IMPROVEMENT (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १३ अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LIVE-STOCK IMPROVEMENT ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक १३ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र पशुधन सुधार (अधिनियम) में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र पशुधन सुधार अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९३३ का २२।

संक्षिप्त नाम। **१. (१)** यह अधिनियम महाराष्ट्र पशुधन सुधार (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए ।

(२) महाराष्ट्र पशुधन सुधार अधिनियम की धारा ६ में, प्रथम परन्तुक के बाद, निम्न परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९३३ का महा. २२ की ६ धारा में संशोधन।

" परन्तु, आगे यह कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद २४४ के खंड (१) में निर्दिष्ट किये गये अनुसूचित क्षेत्रों में साँड के पालन के लिए प्रत्येक लाइसेंस, ऐसे पशुधन अधिकारी द्वारा संबंधित **ग्राम पंचायत** से परामर्श करने के बाद, दिया जायेगा । "।

(यथार्थ अनुवाद),

ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2013.

THE MAHARASHTRA SELF-FINANCED SCHOOLS (ESTABLISHMENT AND REGULATION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SELF-FINANCED SCHOOLS (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2012

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९ सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २१ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र स्व-वित्तपोषित विद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०१२ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

सन् २०१३ का महा. १ । सन् २०१३ का महा. अध्या. १२ ।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र स्व-वित्तपोषित विद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०१२, में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, महाराष्ट्र स्व-वित्तपोषित विद्यालय (स्थापना और विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१३, २ जुलाई २०१३ को प्रख्यापित हुआ था;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र स्व-वित्तपोषित विद्यालय (स्थापना और विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३, कहलाए।

(२) यह २ जुलाई २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् २०१३ का महा. १। सन् २०१३ का महा १ की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र स्व-वित्तपोषित विद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०१२ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है), की धारा २, की उप-धारा (१) में,–

(१) खंड (च), अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) खंड (ठ) में, " पूर्व-प्राथमिक विद्यालय " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे।

सन् २०१३ का महा. १ की धारा ३ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,–

(१) विद्यमान धारा ३, उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनः क्रमांकित की जायेगी ;

(२) " पूर्व प्राथमिक या " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(३) " ३० जून " अंक, अक्षर और शब्द के स्थान में " ३१ जुलाई " अंक, और शब्द रखे जायेंगे ;

(४) परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु आगे यह कि, अकादमिक वर्ष २०१४-२०१५ के लिए ऐसा आवेदन ८ अगस्त २०१३ के पूर्व किया जायेगा।";

(५) इसप्रकार पुनःक्रमांकित की गई उप-धारा (१) के बाद, निम्न उप-धाराएँ जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

(२) सरकार, पात्रता की घोषणा के लिए आशय पत्र और अनुमोदन पत्र जारी करने समेत उप-धारा (१) के अधीन प्राप्त आवेदनों को कार्यवाही के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया विहित करेगी।

(३) यदि, विकास योजना में सक्षम प्राधिकारी, अनुसूची (क) की प्रविष्टि (१२) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अनधिक क्षेत्रवाला प्लॉट शिक्षा प्रयोजनों के लिए आरक्षित रखता है तो ऐसे मामले में, सरकार प्रविष्टि (१२) में विनिर्दिष्ट भूमि के क्षेत्र संबंधी शर्त शिथिल कर सकेगी :

परंतु, अकादमिक वर्ष २०१३-२०१४ के लिए, ऐसी शिथिलता भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जायेगी।

(४) अनुसूची (क) की प्रविष्टि (१२) में विनिर्दिष्ट भूमि क्षेत्र संबंधी शर्त बच्चों को मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के अधीन अपेक्षित सन्नियम और मानकों के साथ अनुपालन करनेवाले विद्यालयों के उन्नयन के प्रस्तावों को लागू नहीं होगी। सन् २००९ का ३५।

(५) यदि, उप-धारा (१) के अधीन नये विद्यालय की स्थापना के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत न्यास या किसी रजिस्ट्रीकृत संस्था या स्थानीय प्राधिकरण ने आवेदन प्रस्तुत किया है और अनुसूची क की प्रविष्टि (११) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों की आवश्यकता को छोड़कर, सभी शर्तों के साथ अनुपालन करेगी, ऐसे मामले में यदि ऐसी न्यास या संस्था या स्थानीय प्राधिकरण आशय पत्र जारी करने के पूर्व सम्यकतया रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तो सरकार आवेदन किये गये नये विद्यालय के स्थापना की मंजूरी दे सकेगी :

परंन्तु, अकादमिक वर्ष २०१३-२०१४ के लिए ऐसा सम्यकतया रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज १५ जुलाई २०१३ के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।"।

सन् २०१३ का महा. १ की धारा ४ में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा ४ की, उप-धारा (१) में " अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले भाग में और " जिला शिक्षा अधिकारी " शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में सावधि जमा के रूप में रखनी होगी। तथापि, इरादा पत्र जारी करने से पूर्व, उक्त रकम प्रबंधन और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), के नाम से संयुक्त रूप में एक विन्यास निधि के सृजन के लिए सुरक्षा जमा के रूप में किसी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जायेगी, और ऐसा प्रमाणपत्र या सावधि जमा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के पास गिरवी होगी। ऐसा प्रमाणपत्र या जमा, आगे की नवीकरण की शर्त के अध्यधीन न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए की जायेगी। "।

परंतु, अकादमिक वर्ष २०१३-२०१४ के लिए ऐसी रकम शर्तों के अध्याधीन १५ जुलाई २०१३ के पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी इसमें सरकार की संयुक्त जमा की शर्त शिथिल की जा सकेगी। "।

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में,— सन् २०१३ का महा. १ की धारा ६ में संशोधन ।

(१) उप-धारा (१) में, " ३१ अक्तूबर २०१३ " अंक, अक्षर तथा शब्द के स्थान में, " ३० सितंबर २०१३ " अंक, अक्षर तथा शब्द रखा जायेगा ;

(२) उप-धारा (२) में, " यदि कोई, प्राप्त " शब्दों के बाद, " शिक्षा निदेशक (माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक) स्वयंस्पष्ट सिफारिश के साथ " शब्द तथा कोष्ठक जोड़े जायेंगे।

६. मूल अधिनियम की धारा ७ की, उप-धारा (२) में, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् २०१३ का महा. १ की धारा ७ में संशोधन ।

(१) परंतु राज्य सरकार सत्यापन करने और कारणों को अभिलिखित करने के बाद, अकादमिक वर्ष २०१३-२०१४ समेत किसी ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करेगी। "।

७. मूल अधिनियम की धारा ८ की, उप-धारा (१) में, " अकादमिक वर्ष का १ मई " अंक, अक्षर तथा शब्दों के स्थान में, " धारा ३ में निर्दिष्ट वर्ष का ३० नवम्बर " अंक, अक्षर तथा शब्द रखे जायेंगे। सन् २०१३ का महा. १ की धारा ८ में संशोधन ।

८. मूल अधिनियम की संलग्न अनुसूची (क) की,— सन् २०१३ का महा. १ की अनुसूची क में संशोधन।

(१) प्रविष्टि (२) में, " पूर्व-प्राथमिक या " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) प्रविष्टि (५) में, " प्राथमिक या उच्च प्राथमिक या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" प्राथमिक से उच्चतर प्राथमिक या उच्चतर प्राथमिक से माध्यमिक या माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक " ;

(३) प्रविष्टि (११) के,—

(क) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (क) रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत संस्था या स्थानीय प्राधिकरण के नाम में भूमि : " ;

(ख) खण्ड (ग) अपमार्जित किया जायेगा।

(४) प्रविष्टि १२ के खण्ड (ख) और (ग) के स्थान में निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

(ख) शहर और ग्रामीण क्षेत्र में एक एकड़ :"।

९. मूल अधिनियम की अनुसूची (ग) की प्रविष्टि (क) में, " या संलग्न पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे। सन् २०१३ का महा. १ की अनुसूची ग में संशोधन।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १२।

१०. (१) महाराष्ट्र स्व-वित्तपोषित विद्यालय (स्थापना और विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी। सन् २०१३ का महा. अध्यादेश क्र. १२ का निरसन और व्यावृत्ति।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2013.

THE MAHARASHTRA UNAUTHORIZED INSTITUTIONS AND UNAUTHORIZED COURSES OF STUDY IN AGRICULTURE, ANIMAL AND FISHERY SCIENCES, HEALTH SCIENCES, HIGHER, TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (PROHIBITION) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2013.

AN ACT TO PROVIDE FOR PROHIBITION OF ESTABLISHMENT OF UNAUTHORIZED INSTITUTIONS AND INTRODUCTION OF UNAUTHORIZED COURSES OF STUDY IN AGRICULTURE, ANIMAL AND FISHERY SCIENCES, HEALTH SCIENCES, HIGHER, TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २१ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में कृषि, पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, उच्चतर, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन की अनधिकृत संस्थांओं की स्थापना और अनधिकृत पाठ्यक्रमों को शुरू करने पर प्रतिषेध और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कृषि, पशु पालन और मत्स्योद्योग विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, उच्चतर, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन के अनधिकृत संस्थाओं की स्थापना और अनधिकृत पाठ्यक्रमों को शुरू या चलानेवाले व्यक्तियों को प्रभावी तौर पर प्रतिषेध करने और उस पर कार्रवाई करने और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर था ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, विधि बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ;

और, इसलिए, महाराष्ट्र कृषि, पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, उच्चतर, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन की अनधिकृत संस्थाओं और अनधिकृत पाठ्यक्रमों (प्रतिषेध) अध्यादेश, २०१३, ११ जुलाई २०१३ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १३।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि, पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान, उच्चतर, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन की अनधिकृत संस्थाओं और अनधिकृत पाठ्यक्रमों (प्रतिषेध) अधिनियम, २०१३ कहलाये।

(२) यह ११ जुलाई, २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

सन् १९८३ का महा. ४१।

(क) " कृषि शिक्षा " का तात्पर्य, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) अधिनियम, १९८३ की धारा २ के खंड (ख) के अर्थान्तर्गत कृषि से संबंधीत शिक्षा से है और इसमें सरकार द्वारा कृषि शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों हेतू घोषित किये जाए ऐसे अध्ययन के अन्य कार्यक्रम या पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे ;

(ख) " कृषि शिक्षा संस्था " का तात्पर्य, कोई संस्था जो कृषि शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों को या पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करती है उससे है, किन्तु इसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या के अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं होगा ;

सन् १९९८ का महा. १७।

(ग) " पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान शिक्षा " का तात्पर्य, महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की धारा २ के खंड (१७) के अर्थान्तर्गत पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों से है और इसमें सरकार द्वारा घोषित पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों हेतू किये गये ऐसे अन्य कार्यक्रम या पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे ;

(घ) " पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान शिक्षा संस्था " का तात्पर्य, पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करनेवाली किसी संस्था से है, किन्तु इसमें तत्समय किसी विधि के द्वारा या के अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं होगा ;

(ङ) " अपील प्राधिकारी " का तात्पर्य, धारा ७ के अधिन नियुक्त अपील प्राधिकारी से है ;

(च) " समुचित प्राधिकरण " का तात्पर्य,—

सन् १९४७ का ४८।

(एक) भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, १९४७।

सन् १९४८ का १६।

(दो) दन्त-चिकित्सक अधिनियम, १९४८।

सन् १९५६ का १०२।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६।

सन् १९७० का ४८।

(चार) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, १९७०।

सन् १९८५ का ५०।

(पाँच) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८५।

सन् १९८७ का ५२।

(छह) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, १९८७।

सन् १९९३ का ७३।

(सात) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अधिनियम, १९९३।

सन् १९८३ का महा. ४१।

(आठ) महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**), अधिनियम, १९८३ के अधीन गठित कोई कृषि विश्वविद्यालय,

सन् १९८९ का महा. २०।

(नौ) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८९,

(दस) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ के अधीन गठित कोई विश्वविद्यालय, सन् १९९४ का महा. ३५।

(ग्यारह) महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७, सन् १९९७ का महा. ३८।

(बारह) महाराष्ट्र पशुपालन तथा मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८, या सन् १९९८ का महा. १७।

(तेरह) महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८, सन् १९९९ का महा. १०।

के द्वारा या के अधीन स्थापित किन्हीं प्राधिकरण से है और इसमें भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और सरकार द्वारा स्थापित महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड भी अध्ययन के किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम संबंधी सरकार द्वारा समुचित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाये कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी भी इसमे संम्मिलित होगा ;

(छ) " प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम " के संबंध, स्वास्थ्य विज्ञान में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों का तात्पर्य, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम, १९९८ के अधीन स्थापित महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अभिकल्पित अध्ययन के कार्यक्रम या स्व-अभिकल्पित पाठ्यक्रम से है, और किसी शिक्षा संस्था द्वारा अध्ययन के किसी अन्य कार्यक्रम का पाठ्यक्रम संबंधी का तात्पर्य, एक वर्ष की कम अवधीवाले कार्यक्रम या पाठ्यक्रम से है ; सन् १९९९ का महा. १०।

(ज) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, धारा ५ के अधीन नियुक्त किये गये सक्षम प्राधिकारी से है ;

(झ) " शिक्षा संस्था " का तात्पर्य, कृषि, पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान उच्चतर शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, तकनीकी शिक्षा या, यथास्थिति, व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों का संचालन करनेवाली किसी संस्था से है ;

(ञ) " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ट) " स्वास्थ्य विज्ञान " का तात्पर्य, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की धारा २ के खंड (१७) के अर्थान्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान, में अध्ययन या संशोधन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों से है और इसमें सरकार द्वारा घोषित किये गये स्वास्थ्य विज्ञान में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के अध्ययन के कोई अन्य कार्यक्रम और पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे ; सन् १९९९ का महा. १०।

(ठ) " स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा संस्था " का तात्पर्य, किसी संस्था से है जो स्वास्थ्य विज्ञान में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करती हैं, किंतु इसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या के अधिन स्थापित कोई विश्वविद्यालय साम्मिलित नहीं होगा ;

(ड) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि और प्रबंधन जैसे उच्चतर शिक्षा में अध्ययन, के कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों या, अनुसंधान और प्रशिक्षण से है और इसमें सरकार द्वारा घोषित किये गये उच्चतर शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों या ज्ञान क्षेत्र के रूप में ऐसे अन्य कार्यक्रम, अध्ययन के पाठ्यक्रम या यथास्थिति, ज्ञान क्षेत्र सम्मिलित होंगे ; सन् १९८७ का महा. ५२।

(ढ) " उच्चतर शिक्षा संस्था " का तात्पर्य, उस संस्था से है जो उच्चतर शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करती है, किन्तु इसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या के अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं होगा ;

(ण) " औद्योगिक प्रशिक्षण " का तात्पर्य, विभिन्न उद्योगों के जरूरी क्षेत्र के रूप में कार्य बल निर्माण करनेवाले प्रशिक्षण से है ;

(त) " औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र " का तात्पर्य, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करनेवाली और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई संस्थांएँ या केंद्रों से हैं ;

(थ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से हैं ;

(द) " तकनीकी शिक्षा " का तात्पर्य, इंजीनियरिंग, प्रोद्योगिकी, स्थापत्य, नगर योजना, फार्मसी और अनुप्रयुक्त कला और दस्तकारी जैसी शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों और अनुसंधान और प्रशिक्षण से है और इसमें भारत सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के रूप में घोषित किये जाए अध्ययन के कोई अन्य कार्यक्रम या पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे ;

(ध) " तकनीकी शिक्षा संस्था " का तात्पर्य, कोई संस्था जो तकनीकी शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों या पढ़ाई को प्रस्तुत करती है उससे है, किंतु इसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, के द्वारा या के अधिन स्थापित कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं होगा ;

(न) " अनधिकृत पाठ्यक्रम " का तात्पर्य, समुचित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये अध्ययन के कार्यक्रम या पाठ्यक्रम से है ;

(प) " अनधिकृत संस्था " का तात्पर्य, समुचित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की गई शिक्षा संस्था से है ;

(फ) " व्यावसायिक शिक्षा " का तात्पर्य, रोजगार या स्व-रोजगार निर्माण करने के लिए इंजीनियरिंग, पॅरा-चिकित्सा विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, मत्स्यउद्योग, दुग्धोद्योग और पशुचिकित्सा के क्षेत्रो में ज्ञान और कौशलता विकास प्रदान करनेवाले अध्ययन के किसी अन्य कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों से है और इसमें सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा मे अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के रूप में घोषित किये जाए अध्ययन के कोई अन्य कार्यक्रम या पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे ;

(ब) " व्यावसायिक शिक्षा संस्था " का तात्पर्य, उस संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करती है, किंतु इसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधिन स्थापित कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं होगा ।

अध्याय दो

अनधिकृत संस्था की स्थापना और अनधिकृत पाठ्यक्रमों को शुरू करने पर प्रतिषेध।

अनधिकृत संस्था की स्थापना और अनधिकृत पाठ्यक्रमों को शुरू करने पर प्रतिषेध।

३. (१) कोई व्यक्ति, समुचित प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना शिक्षा संस्था की स्थापना नहीं करेगा या स्थापित नहीं करवायेगा या शुरू नहीं करेगा।

(२) कोई व्यक्ति या शिक्षा संस्था, समुचित प्राधिकारी के पूर्वाअनुमोदन के बिना, कृषि, पशु, तथा मत्स्य उद्योग विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन के किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा या शुरू नहीं करवायेगा या नहीं चलायेगा।

सन् १९८९ का महा. २०।

(३) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८९ के अधीन गठित यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय के अनुमोदित संस्था से अन्य कोई व्यक्ति या शैक्षणिक संस्था सरकार के पूर्व परामश के बिना, महाराष्ट्र राज्य में ऐसे कोई अध्ययन के कार्यक्रम या पाठ्यक्रम या कोई अध्ययन केंद्र नहीं चलायेगी।

कतिपय विज्ञापनों संबंधी प्रतिषेध।

(४) कोई व्यक्ति या कोई शैक्षणिक संस्था ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी, या प्रकाशित नहीं करवायेगी या ऐसी शिक्षा संस्था या ऐसी शिक्षा संस्था में चलाये जानेवाले अध्ययन के कार्यक्रम या पाठ्यक्रम या के संबंधी किसी विज्ञापन या प्रदर्शन का आयोजन नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिससे शैक्षणिक संस्था में संचालन किसी विज्ञापन के प्रचालन के लिए प्रतिषेध किये जानेवाले उस पाठ्यक्रम में विश्वास करने लगे की शिक्षा संस्था, या किसी व्यक्ति द्वारा संचालित अध्ययन के कार्यक्रम या पाठ्यक्रम यह सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अध्याय तीन

प्राधिकारी

सक्षम प्राधिकारी।

५. सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उप-निदेशक की श्रेणी से अनिम्न पद धारण करनेवाले किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और अध्ययन के अलग-अलग कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी।

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य।

६. (१) यदि सक्षम प्राधिकारी का, उसके समक्ष या से अन्यथा दर्ज की गई किसी शिकायत के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि धारा ३ की उप-धारा (१) या (२) के उपबंधों के उल्लंघन में स्थापित कोई शैक्षणिक संस्था है या उसमें अध्ययन का कार्यक्रम या पाठ्यक्रम शुरू किया है या चलाया जा रहा है तो वह, तुरन्त प्रभाव से ऐसी शैक्षणिक संस्था के पाठ्यक्रम या अध्ययन के ऐसे कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को बंद करने के निदेश दे सकेगी :

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी, ऐसा कोई आदेश पारित करने से पूर्व, संबंधित व्यक्ति या शैक्षणिक संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन अनधिकृत संस्था या अध्ययन के अनधिकृत कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को बंद करने के निदेश देते समय, सक्षम प्राधिकारी, को उनके प्रवेश के प्रयोजन के लिए अदा की गई फीस और कोई अन्य रकमें या प्रभार छात्रों को जिसने उसमें प्रवेश लिया है वापस लौटाने का निदेश ऐसी संख्या या कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के प्रबंध मंडल के प्रभारी व्यक्तियों को दे सकेगा।

(३) सक्षम प्राधिकारी, व्यापक वितरणवाले स्थानीय समाचारपत्रों में और वह उचित समझे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम समेत ऐसे अन्य मध्यमार्गों द्वारा भी उन अनधिकृत संस्थांओं या अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के नाम भी प्रकाशित करेगी, या प्रकाशित करने का कारण भी देगी, ताकि, ऐसी संस्थाओं या अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से आम जनता या छात्र दूर रहें ।

(४) उप-धारा (१) के अधीन अनधिकृत संस्थाओं या अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को बंद करने के आदेश के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी, ऐसी संस्था कार्यक्रमों या के प्रबंध मंडल के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति जो कोई अनधिकृत संस्था है या जो अनधिकृत अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो एक लाख रुपयों से कम नहीं होगी परन्तु, पाँच लाख रुपयों तक बढ़ायी जा सकेगी ।

(५) सक्षम प्राधिकारी जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(६) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाए।

अपील प्राधिकारी ।

७. सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपील प्राधिकारी के रूप में, सरकार के उप-सचिव से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी और अलग-अलग अधिकारियों की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यक्रमों या अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिये नियुक्ति कर सकेगी ।

अपिल ।

८. (१) सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति या शैक्षणिक संस्था, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगी :

परन्तु, अपील प्राधिकारी, पंद्रह दिनों की उक्त अवधि के परे अपील दायर करने में विलंब के लिये माफ कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण अपील दायर करने से रोका गया था ।

(२) अपील के विनिश्चय में अपील प्राधिकारी द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया विहित की जाए ऐसी होगी ।

(३) अपील में अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश या निर्णय, अंतिम होगा ।

अध्याय चार

अपराध और शास्तियाँ

अपराधों। **९.** धारा ३ और धारा ४ के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करना, अपराध होगा।

शास्तियाँ। **१०.** (१) कोई व्यक्ति जो धारा ३ की उप-धारा (१) या (२) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या, ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपयों से कम नहीं होगा परन्तु, जो पाँच लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

(२) धारा ३ की उप-धारा (३) के उपबंधों का उल्लंघन करनेवाला कोई व्यक्ति या शैक्षणिक संस्था, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपयों से कम नहीं होगा, परन्तु जो पाँच लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा।

(३) धारा ४ के उपबंधों के उल्लंघन करनेवाला कोई व्यक्ति या शैक्षणिक संस्था, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपयों से कम नहीं होगा परन्तु, एक लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा ।

कंपनीयों द्वारा अपराध। **११.** (१) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह प्रत्येक व्यक्ति अपराध गठित होने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन का प्रभारी तथा जिम्मेदार साथ ही साथ कंपनी, अपराध की दोषी समझी जायेगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तद्नुसार दण्डित किये जाने के लिए दायी होगी :

परन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को होने से रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से या मौनानुकूलता से या किसी उपेक्षा बरतने के कारण हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी ऐसे अपराध के लिये दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा तद्नुसार दंडित किये जाने के लिए दायी होंगे।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(क) " कंपनी " का तात्पर्य, निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य व्यष्टि संगम या व्यष्टि निकाय सम्मिलित होगा, चाहे निगमित हों या न हों ; और

(ख) फर्म के संबंध में " निदेशक " का तात्पर्य, फर्म के भागीदार से है और व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टि निकाय के संबंध में उसके कार्यकलापों का नियंत्रण करनेवाले किसी सदस्य से है।

अध्याय पाँच

विविध

सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी।

सन् १९०८ का ५। **१२.** सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिये, निम्न मामलों के सम्बन्ध में वाद का विचारण करते समय, वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् :—

(एक) शिकायतकर्ताओं, छात्रों और शैक्षणिक संस्था के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिए समन भेजना और प्रवर्तित करना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(दो) दस्तावेजों की खोज करना और प्रस्तुत करना ;

(तीन) शपथपत्र पर साक्ष लेना ;

(चार) भारतीय साक्ष अधिनियम की धारा १२३ और १२४ के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज या किसी कार्यालय से ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रतिलिपि की मांग करना ; सन् १८७२ का १।

(पाँच) साक्षियों या दस्तावेजों की जाँच के लिये कमीशन जारी करना ;

(छह) अपने खुद के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(सात) कोई अन्य मामला जैसा कि विहित किया जाए ।

शैक्षणिक संस्थाओं या अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के विज्ञापन के लिए संहिता।

१३. (१) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था, विज्ञापन में स्व-विनियमन के लिए भारतीय विज्ञापन परिषद संहिता के तहत् आवश्यक स्व-अधिरोपित अनुशासन का अनुसरण करेगी।

(२) उप-धारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शैक्षणिक संस्था, विज्ञापन देते समय, निम्न मानकों का अनुसरण करेगी :—

(एक) उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देनेवाली कोई विज्ञापन, की किसी संस्था या किसी प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायित, मान्यताप्राप्त, अनुमोदित या पृष्ठांकित किया जाना विधि द्वारा आवश्यक है जिसमें प्रत्यायित, मान्यताप्राप्त, अनुमोदित या पृष्ठांकित संस्था या किसी प्राधिकारी का नाम विनिर्दिष्ट किया जायेगा ;

(दो) विज्ञापन या अध्ययन के कार्यक्रम या पाठ्यक्रम देनेवाली शिक्षा संस्था के मामले में जिसके लिये विज्ञापन जारी किया है, वह किसी प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायित, मान्यताप्राप्त या अनुमोदित नहीं है जिससे ऐसा प्रत्यायन, मान्यता या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है, परन्तु आवश्यक प्राधिकारी से ऐसा प्रत्यायन, मान्यता या अनुमोदन प्राप्त है ऐसी अन्य संस्था से सहबद्ध है तब विज्ञापन में ऐसी शैक्षणिक संस्था जिसे सहबद्ध है का पूर्ण नाम और स्थान स्पष्ट करेगी ;

(तीन) शैक्षणिक संस्था जो उपर्युक्त खण्ड (दो) में यथा वर्णित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से सहबद्ध है के मामले में, तब ऐसे विज्ञापन में विज्ञापन देनेवाली शैक्षणिक संस्था यदि कोई हो, फॉन्ट (चिन्ह) और लोगो और लेखाचित्रिय प्रतिमा, मुद्रित उसी तरह दृश्य या दृश्य-श्राव्य माध्यम में शैक्षणिक संस्था जो सहबद्ध है उसके समान आकार में होगी ;

(चार) शैक्षणिक संस्था या अध्ययन के कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिये छात्रों को नौकरी अस्थायी या स्थायी नौकरी या नौकरी में पदोन्नति या वेतन में वृद्धि का प्रावधान करेगी और विज्ञापन में विश्वास रखनेवाले पाठकों को तब तक नहीं बताएगी या संचालित नहीं करेगी जब तक विज्ञापन जारी करनेवाला व्यक्ति ऐसे विज्ञापन में अपना दावा प्रमाणित करने के लिए समर्थ है ;

(पाँच) विज्ञापन में मर्यादित बैच का विस्तार, छात्रों के उच्चतम या औसतन गुण या श्रेणीकरण और प्राप्त की गई श्रेणी, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्राप्त प्रवेशों, छात्रों के प्रमाण-पत्रों, विदेशी संस्थाओं की सहबद्धता, आदि, सम्बन्धि चाहे जो भी हो, कोई दावा नहीं करेगा जब तक विज्ञापन देनेवाला व्यक्ति ऐसे विज्ञापन में किये गये दावे प्रमाणित करने के लिये समर्थ है ।

भू-राजस्व के किसी बकाये के रूप में शास्ति की वसूली।

१४. धारा ६ की उप-धारा (४) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उद्ग्रहित शास्ति, जब तक सक्षम प्राधिकारी को अदा नहीं की जाती है तब तक भू-राजस्व के किसी बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी।

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के संबंध में व्यावृत्ति।

१५. कोई शैक्षणिक संस्था प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित कर सकेगी :

परन्तु, ऐसे पाठ्यक्रम की नामावली समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के समान नहीं होगी ।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण ।

१६. इस अधिनियम या किसी नियम, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए आदेश या किसी लिखत के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये सक्षम प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जायेगी ।

सक्षम प्राधिकारी आदि लोक सेवक होंगे।

सन् १८६० का ४५।

१७. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी और प्रत्येक अपील प्राधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।

नियम बनाने की शक्ति।

१८. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) जब नियम प्रथम बार के लिये बनाया जाता है को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन होगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो आनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये, सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिये सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये, और उस प्रभाव का अपना विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं, तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अधिनियम किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा और अल्पीकरण करनेवाला नहीं होगा।

१९. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

२०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर से अपेक्षित हों **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत कोई बात कर सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परन्तु, ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाये जाने के पश्चात, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

सन् २०१३ का महा. अध्यादेश क्र. १३ का निरसन और व्यावृत्ति ।

२१. (१) महाराष्ट्र कृषि, पशु और मत्स्यउद्योग विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, उच्चतर, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययन की अनधिकृत संस्थाओं और अनधिकृत पाठ्यक्रमों (प्रतिषेध) अध्यादेश, २०१३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश या की गई नियुक्ति समेत) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, बनाई गई समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2013.

THE MAHARASHTRA KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २१ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् १९६० का १९।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र खादी तथा ग्रामोद्योग (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाये।

सन् १९६० का १९ की धारा ४ में संशोधन।

सन् १९६० का १९।

२. महाराष्ट्र खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, की धारा ४ की, उप-धारा (१) में निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, परंतु इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्यों में, से कम से कम एक सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद २२४ के खंड (१) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में के **ग्रामसभा** या पंचायत सदस्यों में से होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, " **ग्रामसभा** " और " **पंचायत** " की अभिव्यक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३ के खंड (ख) और (घ) में उन्हें समुनदेशित क्रमशः वही अर्थान्तर्गत होगी। "।

(यथार्थ अनुवाद),

ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2013.

THE MAHARASHTRA DEVDASI SYSTEM (ABOLITION) (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2013.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA DEVDASI SYSTEM (ABOLITION) ACT, 2005.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २१ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र देवदासी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, २००५ में संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र **देवदासी** प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, २००५ में संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् २००६ का महा. ३३।

संक्षिप्त नाम। (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र **देवदासी** प्रथा (उन्मूलन) (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाये ।

सन् २००६ का महा. ३३ की धारा ५ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र **देवदासी** प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, २००५ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है), की धारा ५ की उप-धारा (२) के, खंड (क) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् २००६ का महा. ३३।

" (क) उच्च न्यायालय के परामर्श से, सरकार द्वारा नियुक्त किया जानेवाला चयन श्रेणी जिल्हा न्यायाधीश से अनिम्न दर्जे का न्यायाधीश है या रहा व्यक्ति, या जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जानेवाला शासन सचिव से अनिम्न दर्जे का अधिकारी है या रहा व्यक्ति....अध्यक्ष ; "।

सन् २००६ का महा. ३३ की धारा ८ में संशोधन। **३.** मूल अधिनियम की धारा ८ की, उप-धारा (२) के, खंड (क) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (क) जिला या किन्ही जिलों की सामुहिक जिला समिति गठित की गई है ऐसे जिले का सरकार द्वारा नियुक्त किया जानेवाला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर कलक्टर या **जिला परिषद** का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पुलिस अधीक्षक ..... अध्यक्ष ; "।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2013.

THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF NURSING AND PARAMEDICAL EDUCATION ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
शासन सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2013.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF A STATE BOARD TO REGULATE MATTERS PERTAINING TO DIPLOMA LEVEL NURSING AND PARAMEDICAL EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २१ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए राज्य बोर्ड की स्थापना करने और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिये, राज्य बोर्ड की स्थापना करने और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, २०१३ कहलाये।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह धारा तुरंत प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगे जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " नियत दिन " का तात्पर्य, उस दिनांक से है जिस दिनांक को इस अधिनियम की धारा १ से भिन्न शेष उपबंध धारा १ की उप-धारा ३ के अधीन प्रवृत्त होंगे ;

(ख) " बोर्ड " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन स्थापित बोर्ड से है ;

(ग) " उप-विधियाँ " का तात्पर्य, धारा ४६ के अधीन बोर्ड द्वारा बनाये गये उप-विधियों से है ;

(घ) " महाविद्यालय या विद्यालय " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग प्रबंधन और पराचिकित्सा शिक्षा में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा देनेवाली संस्था से है ;

(ङ) " डिप्लोमा स्तर शिक्षा " का तात्पर्य, ऐसी नर्सिंग और पराचिकित्सा से है जो उपाधि पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमाओं को छोड़कर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट संशोधित ऑक्सिलरी नर्स मिडवाईफरी, संशोधित साधारण नर्सिंग मिडवाईफरी और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और पराचिकित्सा पाठ्यक्रमों या अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन या कोई अन्य शिक्षा लेने से है ;

(च) " निदेशक " का तात्पर्य, धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त किये गये बोर्ड के निदेशक से है ;

(छ) " परीक्षा " का तात्पर्य, बोर्ड द्वारा संचालित एक या अधिक परीक्षाओं से है ;

(ज) " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(झ) " शासी परिषद " का तात्पर्य, धारा ८ के अधीन स्थापित बोर्ड की शासी परिषद् से है ;

(ञ) " संस्था का मुख्य " या " प्रधान " का तात्पर्य, नर्सिंग और पराचिकित्सा डिप्लोमा स्तर की संस्था या महाविद्यालय या विद्यालय के अध्यापन कर्मचारी के मुख्य से है, चाहे जो भी पदनाम हो ;

(ट) " पराचिकित्सा शिक्षा " का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था, महाविद्यालय या विद्यालय द्वारा मंजूर किये गये, चाहे जो भी नाम हो, किसी पराचिकित्सा अर्हता में उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र से है ;

(ठ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विहित से है ;

(ड) " प्रदेश " का तात्पर्य, इस अधिनियम में सहबद्ध अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट तीन प्रदेशों से हर एक के समाविष्ट किये गये क्षेत्र से है ;

(ढ) " रजिस्ट्रार " का तात्पर्य, बोर्ड के रजिस्ट्रार से है ;

(ण) " विनियम " का तात्पर्य, धारा ४५ के अधीन सरकार द्वारा और धारा ४४ के अधीन बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों से है ;

(त) " अध्यापक " का तात्पर्य, संस्था के प्रधान या मुख से आडावा नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा के अध्यापन कर्मचारी सदस्य से है।

अध्याय दो

बोर्ड और शासी परिषद् की स्थापना और गठन।

बोर्ड की स्थापना।

३. सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा " महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा बोर्ड " नामक बोर्ड स्थापित करेगी।

बोर्ड का निगमन।

४. बोर्ड, शाश्वत उत्तराधिकारी और सामान्य मुद्रावाला एक निगमित निकाय होगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ चल या अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन करने, धारण करने तथा व्ययन करने और संविदा करने का और आवश्यक समस्त बातें करने का अधिकार होगा और अपने निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

बोर्ड का गठन।

५. (१) बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष के रूप में बोर्ड का निदेशक होगा :

परंतु, धारा ६ के अधीन निदेशक की नियुक्ति होने तक, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष का प्रभार धारण करेगा ;

(ख) सदस्य के रूप में राज्य नर्सिंग अधीक्षक ;

(ग) सदस्य-सचिव के रूप में रजिस्ट्रार ; और

(घ) सदस्य के रूप में निदेशक, शिक्षु प्रशिक्षण मंडल (पश्चिम क्षेत्र) बोर्ड भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ;

(ङ) सरकार द्वारा निम्न सदस्य नामनिर्देशित किये जायेंगे, अर्थात् :–

(क) राज्य के सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों में से एक प्राचार्य ;

(ख) संस्थाओं के प्राचार्यों और प्रमुख में से दो सदस्य, एक सरकारी संस्था से और अन्य नगर निगम संस्था से और इनमें से कम से कम एक महिला होगी ;

(ग) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय और स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय के अधीन के सरकारी डिप्लोमा महाविद्यालयों या विद्यालय में से एक नर्सिंग शिक्षक और एक पराचिकित्सा शिक्षक में से दो सदस्य ;

(घ) हर एक प्रदेश में से एक प्रतिनिधि जो न्यूनतम नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में स्नातकोत्तर की अर्हता और ऐसे क्षेत्र में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव रखनेवाला होना चाहिए :

परंतु, कोई व्यक्ति, बोर्ड के सदस्य के रूप में पद धारण करने से परिविरत होगा यदि वह जिसके कारण उसकी नियुक्ति हुई है वह पद, पदनाम या यथास्थिति, कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने से परिविरत होता है और ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य बने रहने से इस प्रकार परिविरत होने की सूचना स्व-हस्ताक्षरित लेख द्वारा एक सप्ताह के भीतर बोर्ड के अध्यक्ष को देगा।

(२) जो व्यक्ति समय-समय पर बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है, जो **पदेन** सदस्य नहीं है, उन व्यक्तियों के नाम सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किये जायेंगे।

बोर्ड का निदेशक।

६. (१) बोर्ड का एक निदेशक होगा जो सरकार के चिकित्सा शिक्षा निदेशक के रुप में नियुक्त किये गये अर्हताप्राप्त व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसका नाम सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किया जायेगा।

(२) निदेशक उसके नाम के **राजपत्र** में प्रकाशन की दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(३) उप-धारा (२) की कोई बात, ऐसी पदावधि के दौरान, सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर सरकारी सेवा की अत्यावश्यकता में तबादला करने के लिए सरकार की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी ; और यदि निदेशक की सरकारी सेवा में अधिवर्षिता हो चुकी है तो, जबतक उसकी सेवा में विस्तार नहीं किया जाता है या सरकारी सेवा में उसे पुन:नियोजित नहीं किया जाता है और किसी अन्य पद पर उसका तबादला नहीं होता है तो वह निदेशक बने रहने से परिविरत होगा।

(४) सरकार, समय-समय पर, बोर्ड के निदेशक की पदावधि बढ़ा सकेगी, तथापि इस प्रकार की पदावधि कुल मिलाकर दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(५) निदेशक, सरकार के चिकित्सा शिक्षा निदेशक के समतुल्य पद पर का सरकारी कर्मचारी होगा और निदेशक की सेवा की शर्तें और भर्ती के नियम, निदेशक चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के जैसे बने रहेंगे।

(६) जहाँ छुट्टी, बीमारी या अन्य कारणों से निदेशक की अस्थायी रिक्ति होती है, तो सरकार, निदेशक के रूप में समतुल्य पद धारण करनेवाले अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और भत्ते।

७. (१) **पदेन** सदस्यों से अन्य, बोर्ड के सदस्य, **राजपत्र** में अपने नाम प्रकाशित होने की दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(२) पदावरोही सदस्यों की पदावधि, जिस दिनांक को उनके उत्तराधिकारी के नाम **राजपत्र** में प्रकाशित किये जाते है उस दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहकर अवसित होगी।

(३) पदेन सदस्यों से अन्य सदस्य, विनियमों द्वारा अवधारित किये जाये ऐसे प्रतिकारात्मक भत्ते पाने के हकदार होंगे।

शासी परिषद् की स्थापना।

८. (१) सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, शासी परिषद की स्थापना करेगी जो राज्य स्तर पर डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा और परीक्षा से संबंधित मामलों का नियंत्रण और मानिटर करने के लिए शीर्ष निकाय होंगी।

(२) विनियामक परिषद्, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(एक)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य,	. . .	अध्यक्ष।
(दो)	चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य,	. . .	उपाध्यक्ष।
(तीन)	सचिव, प्रधान सचिव या, यथास्थिति, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग, महाराष्ट्र सरकार,	. . .	सदस्य।
(चार)	संयुक्त सचिव या उप-सचिव, चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग, महाराष्ट्र सरकार,	. . .	सदस्य।
(पाँच)	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान,	. . .	सदस्य।
(छह)	निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें,	. . .	सदस्य।
(सात)	निदेशक, आयुर्वेद	. . .	सदस्य।
(आठ)	राज्य नर्सिंग अधीक्षक,	. . .	सदस्य।
(नौ)	प्राचार्य, सरकारी ऑक्युपेशनल तथा फिजिओथेरपि महाविद्यालय, नागपूर,	. . .	सदस्य।
(दस)	निदेशक, बोर्ड	. . .	सदस्य-सचिव।

(३) शासी परिषद् की बैठक प्रत्येक वर्ष में हर तीन महिनों में होगी।

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अनर्हता।

९. कोई व्यक्ति, बोर्ड के या इस अधिनियम के अधीन नियत किसी समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त या नामित या बने रहने से अनर्ह होगा,—

(क) यदि वह, बोर्ड के इस निमित्त आदेश द्वारा या किसी प्रविष्ट संविदा के किसी कार्य में कोई भाग या हित प्रत्यक्ष रखता है ;

(ख) यदि वह व्यक्ति धारा १२ के अधीन बनाये गये पद से हटने के लिए जिस आदेश के विरूद्ध होता है :

परंतु, व्यक्ति जिसके विरूद्ध ऐसा आदेश बनाया गया है, वह इस खंड के अधीन अनर्ह समझा नहीं जायेगा यदि वह उसके पद से हटाये जाने की दिनांक से सरकार निर्दिष्ट करें ऐसे पाँच वर्ष या ऐसी कम अवधि व्यतीत नहीं हुई है।

आकस्मिक रिक्तियाँ।

१०. बोर्ड शासी परिषद् या बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति के सदस्यों के पद में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियाँ, नामनिर्देशन या, यथास्थिति, नियुक्ति द्वारा यथासंभव शीघ्र भरी जायेगी ; और आकस्मिक रिक्ति में नामित या नियुक्त व्यक्ति तब तक ही पद धारण करेगा जब तक यदि रिक्ति नहीं हुई है तो वह सदस्य, जिसके स्थान पर नामनिर्दिष्ट या नियुक्त हुआ है उसे धारण करेगा।

सदस्य का त्यागपत्र।

११. बोर्ड का सदस्य, **पदेन सदस्य** को छोड़कर, बोर्ड के अध्यक्ष या, यथास्थिति, शासी परिषद् के अध्यक्ष को लिखित में अपना त्याग पत्र किसी भी समय पर पेश कर सकेगा और ऐसे सदस्य ने अध्यक्ष द्वारा उसका त्यागपत्र प्राप्त होते ही और सरकार द्वारा स्वीकृत होते ही अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जायेगा।

सदस्य को हटाना।

१२. (१) सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर और वह उचित समझे ऐसी जाँच करने के बाद, आदेश द्वारा बोर्ड या उसकी किसी समिति के सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह सदस्य,—

(क) भारत के न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक भ्रष्टता अन्तर्ग्रस्त है सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) सरकार विनिर्दिष्ट करें, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से निर्योग्य व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है ; और बोर्ड या, यथास्थिति, समिति के कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ऐसा प्रमाणित होता है ; या

(घ) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ङ) इस प्रकार कार्य करता है जो बोर्ड के लक्ष्यों और उद्देश्यों को अहितकर होता है।

परंतु, बोर्ड द्वारा तब तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं की जायेगी या खंड (ङ) के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा जब तक उसे ऐसा कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है, कि ऐसी सिफारिश क्यों न की जाये या ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाये।

(२) सरकार, **स्व-प्रेरणा से,** आदेश द्वारा, बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी नामित सदस्य को हटा सकेगी, जिसकी गतिविधियाँ सरकार की राय में, बोर्ड या उसकी किसी समिति के कार्यों को उचित रूप से करने के लिए अहितकर हैं या बाधा पहुँचाती है :

परंतु, कोई भी सदस्य, पद से तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक ऐसे सदस्य को यह कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है कि उसके विरूद्ध ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाये।

(३) उप-धाराएँ (१) और (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का नामित सदस्य, सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और उनकी पदावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय, हटाया जा सकेगा।

बोर्ड की बैठकें।

१३. (१) बोर्ड की, प्रत्येक महीने में कम से कम दो बैठकें होगी।

(२) बोर्ड का अध्यक्ष, किसी भी समय, यदि अत्यावश्यकता की ऐसी माँग हो तो बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अनून सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, अध्यक्ष द्वारा, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के इक्कीस दिन के बाद की न हो ऐसी दिनांक को परिषद की विशेष बैठक बुला सकेगा।

अनर्हता के कारण अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति।

१४. यदि बोर्ड या उसकी किसी समिति का अध्यक्ष या सदस्य धारा ९ में उल्लिखित किसी अनर्हता में आता है, तो तदुपरांत ऐसे व्यक्ति का पद सरकार द्वारा रिक्त घोषित किया जायेगा।

अनुमति के बिना अनुपस्थिति के कारण सदस्य की रिक्ति।

१५. यदि बोर्ड का नामित या नियुक्त कोई सदस्य, बोर्ड की अनुमति बिना उसकी तीन क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो तदुपरांत, उसका पद रिक्त होगा और अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार घोषित किया जायेगा।

रिक्ति के प्रश्न पर विनिश्चय।

१६. यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि, अध्यक्ष या सदस्य का पद धारा १४ या १५ के अधीन रिक्त हुआ है या नहीं तो इस मामले में उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

समिति या बोर्ड में रिक्ति या गठन में त्रुटि होने के कारण कोई कार्य या कार्य-वाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी।

१७. बोर्ड या उसकी समिति के किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ, केवल ऐसे बोर्ड या समिति के किसी रिक्ति या गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी।

बैठकों में विशेषज्ञ और अधिकारियों को आमंत्रित करने की शक्ति।

१८. यदि उस बैठक में ऐसा विषय, जिसके विशेषज्ञ या अधिकारी संबध्द है, चर्चा या विचार-विमर्श के लिए आने की संभावना है, तो बोर्ड उसकी बैठक या उसकी समितियों में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को, जो कि उसकी राय में शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ है या सरकार के किसी अधिकारी को आमंत्रित कर सकेगा।

समितियों का गठन।

१९. (१) बोर्ड निम्न समितियाँ गठित करेगा, अर्थात् :—

(क) अकादमिक समिति ;

(ख) वित्त समिति ;

(ग) पाठ्यक्रम समिति, २० से अनधिक ;

(घ) समतुल्य समिति ;

(ङ) विशेष समिति।

(२) बोर्ड ऐसी अन्य समितियाँ गठित कर सकेगी जैसा वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन हेतु आवश्यक समझें।

(३) बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक समिति का गठन, उसके सदस्यों की संख्या, उसकी पदावधि, उसके सदस्य और उसके द्वारा निर्वहन किये जानेवाले कर्तव्य और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाये।

बोर्ड कतिपय कर्मचारी आमेलित करेगी और जिन्हें यह अधिनियम लागू होता है, ऐसे मामलों के बारे में सरकार की बाध्यता ग्रहण करेगी।

२०. (१) बोर्ड, महाराष्ट्र नर्सिंग परिषद की स्थापना के दिनांक को, महाराष्ट्र नर्सेस अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे, " विद्यमान परिषद् " कहा गया है) के अधीन गठित महाराष्ट्र नर्सिंग परिषद के प्रयोजनों के लिए कार्यरत रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, प्रणाली विश्लेषक, वित्त अधिकारी और लेखा अधिकारी जैसे को ले लेगी और नियोजित कर लेगी, जैसा राज्य सरकार निदेश दे और इस प्रकार ले लिया गया और नियोजित प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन निर्मित विनियम के अध्यधीन होगा :

परंतु,—

(क) ऐसा कर्मचारी, बोर्ड की सेवा में नियमित रहने के लिए विहित समय सीमा के भीतर, विकल्प देगा ;

(ख) ऐसे नियोजन की अवधि के दौरान, उक्त कर्मचारीगण के सदस्यों का वेतन, छुट्टी, सेवानिवृत्ति, भत्ता, पेंशन, भविष्य निर्वाह निधि और सेवा की अन्य शर्तें, महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों द्वारा या सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाये ऐसे आदेश द्वारा विनियमित होगी ;

(ग) ऐसे किसी भी कर्मचारी को, सेवा, दंड या किसी अन्य शास्ति से रद्दकरण, निलंबन या हटाने के आदेश के विरूद्ध सरकार को अपील करने का अधिकार होगा।

(२) विद्यमान परिषद् के स्थायी कर्मचारी, यदि सरकारी सेवा के पक्ष में विकल्प का प्रयोग करतें है तो वे, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय के अधीन दो वर्ष की अवधि के भीतर, उसके किसी कार्यालय या नर्सिंग के महाविद्यालय या विद्यालय या सरकारी अस्पताल जहाँ चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के अधीन रिक्तियाँ विद्यमान है, उसमें आमेलित किये जायेंगे।

(३) ऐसा समस्त व्यय जो विद्यमान परिषद् द्वारा, विद्यमान परिषद् के किन्हीं प्रयोजनों के संबंध में नियत दिन से पूर्व उपगत किया गया हो, उस दिन बोर्ड को सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के प्रति दिया गया अग्रिम समझा जायेगा और ऐसे व्यय से अर्जित समस्त भत्ता उक्त बोर्ड में निहित होगा जिसके लिए बोर्ड का उद्देश्य और प्रयोजन है।

(४) बोर्ड के आवश्यक उद्देशों और कारणों की उपलब्धि के लिये विद्यमान परिषद् की समस्त जंगम और स्थावर संपत्ति और समस्त अधिकार तथा हित, चाहे वह किसी भी प्रकार के हो और शक्तियाँ और विशेषाधिकार, बोर्ड को अंतरित हो जायेगा और उस में निहित होंगे और ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए वह लगाया जायेगा जिसके लिए बोर्ड का गठन किया गया है।

(५) महाराष्ट्र राज्य में नर्सिंग तथा पराचिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी योजना के बारे में, बोर्ड के प्रथम गठन से पूर्व, इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार या विद्यमान परिषद् द्वारा या के साथ या के लिए उपगत समस्त बाध्यताएँ, की गई समस्त संविदा और किये जाने में लगे समस्त मामलें और बातें बोर्ड द्वारा के साथ या के लिए उपगत की गई या किये जाने में लगी समझी जायेगी और तद्नुसार, सरकार या, यथास्थिति, विद्यमान परिषद् या के विरूद्ध संस्थित या संस्थित किये जानेवाले समस्त वाद या विधिक कार्यवाहियाँ, बोर्ड द्वारा या के विरूद्ध जारी रखी या संस्थित की जायेंगी।

रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, और उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, प्रणाली विश्लेषक, वित्त अधिकारी, तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य।

२१. (१) बोर्ड का एक रजिस्ट्रार होगा, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियंत्रण अध्यक्ष होगा और बोर्ड के अधीन तत्समय कार्यरत, सभी अन्य अधिकारी और सेवक उसके अधीनस्थ होंगे।

(३) रजिस्ट्रार, बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने का हकदार होगा और वह बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

(४) रजिस्ट्रार, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाये।

(५) सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर बोर्ड के लिए, अपेक्षित संख्या में संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, प्रणाली विश्लेषक, वित्त अधिकारी और लेखा अधिकारी जैसा नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा का कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी।

(६) संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, प्रणाली विश्लेषक, वित्त अधिकारी और लेखा अधिकारी, रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जिसे क्रमशः सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उन्हें समनुदेशित किया जाये।

(७) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, प्रणाली विश्लेषक, वित्त अधिकारी और लेखा अधिकारी राज्य सरकार के सेवक होंगे और इन अधिकारियों को वेतन तथा भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें सरकार द्वारा अवधारित की जाये ऐसी होंगी।

बोर्ड के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी।

२२. (१) बोर्ड, सरकार के अनुमोदन से ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के प्रभावी पालन के लिए आवश्यक समझें।

(२) उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये।

अध्याय तीन

शासी परिषद् और बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य

शासी परिषद् की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

२३. इस अधिनियम के उपबंन्धों के अध्यधीन, शासी परिषद के शक्तियाँ तथा कर्तव्य निम्न होंगे, अर्थात् :–

(क) बोर्ड द्वारा पुनःप्रस्तावित मामलों पर कार्य करना और कार्यान्वयन के लिए बोर्ड की सिफारिशों का और विनिश्चयों का अनुमोदन करना ;

(ख) नर्सेस और अस्पताल के लिए पढ़ानेवाली संस्थोओं के साथ परामर्श में यथार्थदर्शन विकास योजना तैयार करना ;

(ग) कर्मचारियों के विनियमों से संबंधित मामलों को अनुमोदित करना और उसका अनुमोदन करना ;

(घ) नियमित रूप से लेखा परीक्षण की जाँच करने के लिए सरकार को सिफारिश करना और विनियामक परिषद् उचित समझे ऐसे अंतरालों पर करना ;

(ङ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किये गये वित्तीय मामलों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करना ;

(च) सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये विभिन्न नीति विनिश्चियों के कार्यान्वयन संबंधी बोर्ड को निर्देश देना ;

(छ) बोर्ड के रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए, नियम और प्रक्रिया जैसा कि उनकी अर्हताएँ, अनुशासन, संचालन और कर्तव्य, भर्ती का ढंग, वेतनमान आदि समेत सेवा के निर्बंधन और शर्तों को अनुमोदित करना ;

(ज) बोर्ड के अधीन संस्था का उचित संचालन, कार्य और वित्त संबंधित किसी मामले के संबंधी जाँच का संचालन करने के लिए सरकार को सिफारिश करना।

बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य।

२४. (१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्न होंगे, अर्थात् :—

(क) सामान्य तथा डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा से और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों पर संबंधित नीति मामलों पर सरकार को सलाह देना, अर्थात् :—

(एक) डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीतियाँ और राज्य नीतियों के बीच समन्वयन ;

(दो) डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा के बीच समन्वयन ;

(तीन) डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा के एकरूप दरजे को बनाये रखना ;

(चार) स्वास्थ्य देखभाल उद्योग और नर्सिंग तथा पराचिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के बीच पारस्परिकताओं को बढ़ावा देना ;

(ख) नियमित, बीच के, अंशकालीन, पत्राचार पाठ्यक्रम, वार्षिक, सत्र पॅटर्न और उस जैसे सभी प्रवर्गों के लिए डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण के अवधारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना और विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यविवरण भी तैयार करना ;

(ग) नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा के लिए चयन, मूलभूत सुविधाओं के लिए मानक मार्गदर्शक सिद्धांत विहित और विनियमित करना, डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रमों के लिए कर्मचारीवृंद भवन, फर्निचर उपकरण, लेखनसामग्री और अपेक्षित अन्य बातों संबंधी आवश्यकताएँ ;

(घ) डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार के अध्ययन सामग्रीवाली किसी अन्य एजेंसी के साथ प्रत्यक्ष रूप से या सहयोग से पाठ्यपुस्तक के रूप में कोई पुस्तक और संदर्भ पुस्तक विहित करना और विकसित करना या कोई पुस्तक और छपाई या गैर-छपाई सामग्री तैयार करना या करवाना ;

(ङ) परीक्षाओं में नियमित परीक्षार्थी और बाह्य परीक्षार्थीयों के प्रवेश को नियंत्रित करनेवाली साधारण शर्तें विहित करना और पात्रता, उपस्थिति आवधिक-कार्य संबंधी शर्तें विनिर्दिष्ट करना और परिपूर्णता पर जो अभ्यर्थी होगा उसे किसी ऐसी परीक्षा में प्रवेश पाने और बैठने का अधिकार होगा ;

(च) डिप्लोमा अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होनेवाले परीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र देना ;

(छ) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति वृत्तिका, पदक, पुरस्कार और अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना और उसके लिये शर्तें विहित करना ;

(ज) वसीयत, दान, विन्यास, न्यास और किसी संपत्ति या उसमें के हितों या उससे संबंधित अधिकारों का अन्य अंतरण प्राप्त करना ;

(झ) उपर्युक्त खंड (ज) में उल्लिखित कोई संपत्ति, हित या अधिकार धारण करना और उनका प्रबंध या व्यवहार करना ;

(ञ) विहित की जाये ऐसी फीस और शास्तियाँ नियत करना, मांग करना और प्राप्त करना ;

(ट) चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक, राज्य नर्सिंग अधीक्षक से या सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग अधिकारियों से विशेष रिपोर्ट और जानकारी और डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा के अकादमिक दरजे का अनुरक्षण और सुधार में सुनिश्चिति करने हेतु बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी डिप्लोमा स्तर की संस्था से कोई जानकारी माँगना ;

(ठ) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थोओं के छात्रों के शारीरिक, चरित्रवान और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(ड) विनियमों के अनुसार धारा २१ की उप-धारा (७) में उल्लिखित पदों के अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(ढ) बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित के लिए भविष्यनिधि का गठन करना ;

(ण) बोर्ड से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदित करना और वार्षिक बजट की मंजूरी के लिए विनियामक परिषद को सिफारिश करना ;

(त) क्षेत्रीय कार्यालय कार्यों की साधारणतया जाँच और पर्यवेक्षण करना, यदि कोई हो तो और उसके क्षेत्रों के लेखाओं की आवधिक जाँच करना ;

(थ) देश में राज्य और अन्य राज्यों के भीतर या भारत के बाहर किसी एजेंसी के सहयोग से पाठ्यक्रम, पढ़ाने की, अध्ययन प्रक्रिया और परीक्षा की रुपरेखा, विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए सांख्यिकीय और अन्य अनुसंधान या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ;

(द) ऐसी समितियाँ नियुक्त करना, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझें ;

(ध) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विनियम बनाना ;

(न) बोर्ड, उसकी समितियों द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया जैसे विषयों और केवल बोर्ड और उसकी समितियों से संबंधित उप-विधियाँ बनाना जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन और तद्धीन बनाये गये विनियमों के लिए उपबंधित नहीं किये गये है ;

(प) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जाये ;

(ब) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो ताकि राज्य में डिप्लोमा स्तर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा में सुधार, विस्तार या व्यापक कर सकें और डिप्लोमा स्तर नर्सिंग तथा व्यापक पराचिकित्सा शिक्षा के दरजे में सुधार बनाये रख सके ;

(भ) संस्थाओं को संबद्धता, प्रत्यायन, समतुल्यता, पात्रता मंजूर करने के लिए विनियम बनाना और संबद्धता या प्रत्यायन या समतुल्यता या पात्रता का पुनरीक्षण और प्रतिसंहरण करना ;

(म) संबद्धता, प्रत्यायन, स्वायत्तता प्रदान करने और या समतुल्यता के लिए संस्थाओं के लिए विहित किये जाये ऐसी फीस की माँग करना और प्राप्त करना ;

(य) छात्रों की परीक्षाओं का संचालन करना ;

(य क) परीक्षा का संचालन, छात्रों की उपलब्धि का निर्धारण करने के लिए और परिणामों के संकलन और घोषणा के लिए पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों, पर्यवेक्षकों और अन्य आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति करना ;

(य ख) विनियमों के अनुसरण में परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश देना ;

(य ग) उसके द्वारा संचालित सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षा के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर केंद्र खोलना ;

(य घ) नियत किये जाये ऐसी दिनांक या दिनांकों को संचालित परीक्षा में बैठनेवाले छात्रों के परिणाम घोषित करना ;

(य ङ) गुणवत्ता अनुसार छात्रों की सूची तैयार करना ;

(य च) अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अनुचित संदर्भ के मामलों को देखना ;

(य छ) डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रमों में अंतिम परीक्षा समेत सभी परीक्षाओं में छात्रों और संस्थाओं के कार्य का सामान्यतया मूल्यांकन करना ;

(य ज) उसके द्वारा मान्यता दी गई किसी डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं से उसके अकादमिक दर्जा बनाये रखने की लिए कोई जानकारी माँगना और घटियाँ, अकादमिक परिणामों के मामले में और अकादमिक अनियमितताओं से उसमें सुधार लाने के आशय से प्रादेशिक अधिकारियों से यदि उसके द्वारा मान्यताप्राप्त किसी नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा से संबंधित डिप्लोमा स्तर संस्था को वह अपेक्षित अकादमिक दर्जा बनाये नहीं रखती है तो राज्य को नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा बोर्ड की मान्यता निकालने की सिफारिश करना ;

(य झ) सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अनुरोध के लिए परीक्षा संचालन में उनके सहयोग का विस्तार करना और किसी संस्था से बोर्ड के विशेषाधिकार निकालना, जो परीक्षा संचालित करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं का निपटाने उसके स्थान पर देनें में विफल रहती है उन्हें यह कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद कि ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाये, और

(य ञ) निम्न के लिए अपेक्षित कोई संपत्ति या मूलभूत सुविधा का सृजन करना, स्वामित्व करना, धारण करना या किराये पर लेना :—

(एक) बोर्ड कार्यालय को चलाने के लिए ;

(दो) क्षेत्रीय कार्यालयों को चलाने के लिए ;

(तीन) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निवासी आवास की व्यवस्था करने के लिए ;

(य ट) अकादमिक कार्य की योजना और मानिटर करना ;

(य ठ) जरूरत आधारित पाठ्यक्रम, स्व-रोजगार के लिए विशेष पाठ्यक्रम, ग्रामीण, वंचित व्यक्तियों और महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तावित करना।

(२) बोर्ड उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करते समय, केवल ऐसा उपबंध करेगा जिसका परिणाम भारतीय नर्सिंग अधिनियम, १९४७ के अधीन अधिकथित मानकों से उक्त मानक अनुरक्षित करने मे होंगे और इसका परिणाम उक्त भारतीय नर्सिंग अधिनियम के अधीन भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अधिकथित मानकों और पराचिकित्सा शिक्षा संबंधी केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के साथ विरोध में नहीं होगा। सन १९४७ का ४७।

बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य।

२५. (१) बोर्ड के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करें कि अधिनियम के उपबंध और तद्धीन निर्मित विनियम और उप-विधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक समस्त शक्तियाँ होगी।

(२) ऐसी आपात स्थिति में, बोर्ड के अध्यक्ष की राय में, ऐसी सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है, अध्यक्ष, ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अगली बैठक में बोर्ड को देगा।

(३) अध्यक्ष, ऐसी शक्तियो का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहीत किया जाये।

निदेश जारी करने की सरकार की शक्तियाँ।

२६. (१) सरकार को धारा २४ में विनिर्दिष्ट सभी या किन्ही मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा दी गई सलाह पर यदि कोई हो, विचार करने के बाद, उस बोर्ड को ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी जिसे वह आवश्यक समझें। बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(२) सरकार को, बोर्ड द्वारा संचालित की गई या कृत या संचालित करने के लिए आशयित किसी बात के संदर्भ में संबोधित करने का और संबंधित मामले पर अपने विचार संसूचित करने का भी अधिकार होगा।

(३) बोर्ड, ऐसी कारवाई की रिपोर्ट सरकार को देगी यदि कोई हो, करने के लिए प्रस्तावित या की गई ऐसी कारवाई की सूचना देगी और यदि वह समुचित कार्यवाही करने में विफल रहती है तो उसका स्पष्टीकरण देगी।

(४) यदि, बोर्ड सरकार के समाधान होने तक, उचित समय के भीतर, कारवाई करने में विफल रहता है तो सरकार, बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दिये गये, किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, इस अधिनियम के साथ सुसंगत ऐसे, निदेश जारी करेगी जैसा कि वह उचित समझे और बोर्ड द्वारा ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

(५) किसी आपातस्थिति में, जो सरकार की राय में, यह अपेक्षित हो कि सद्य कार्यवाही की जाये, सरकार बोर्ड के पूर्व परामर्श किये बिना इस अधिनियम से संगत ऐसी कारवाई कर सकेगी जैसा वह आवश्यक समझे और तुरंत उसे की गई कार्यवाही की सूचना देगी।

(६) यदि, सरकार की यह राय है कि, ऐसा संकल्प आदेश या कार्य, इस अधिनियम द्वारा, या के अधीन बोर्ड पर प्रदत्त शक्तियों से अधिक है तो, सरकार लिखित मे आदेश द्वारा, उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करके, बोर्ड के किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन निलंबित कर सकेगी और बोर्ड द्वारा करने के लिये आदेशित या आदेश तात्पर्यित कारवाई करने का प्रतिषेध कर सकेगी।

अध्याय चार

अनुज्ञा, संबध्दता, स्वायत्त स्थिति और समतुल्यता प्रदान करना

संबद्धता की शर्ते।

२७. (१) संबद्धता किये जाने के लिये आवेदन करनेवाला प्रबंधमंडल तथा वह प्रबंधमंडल जिसकी संस्था विनिर्दिष्ट अवधि के लिये संबद्धता अनुदत की गई है तो, निम्न परिवचन देगा और उसका अनुपालन करेगा कि,–

(क) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए विनियमों और स्थायी आदेशों और बोर्ड के निदेशों का अनुपालन किया जायेगा,

(ख) संबध्द विद्यालयों या महाविद्यालयों के लिये उपबंधित एक अलग स्थानीय प्रबंध समिति होगी,

(ग) अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिये भरती छात्रों की संख्या, बोर्ड और सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई सीमाओं से अधिक नहीं होगी,

(घ) अध्यापन और अनुसंधान के लिये अपेक्षित भौतिक सुविधाएँ जैसे कि भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, किताबें, उपस्कर और छात्रावास, जिमखाना उचित तथा पर्याप्त होना चाहिए जैसा कि विहित किया जाए,

(ङ) नर्सिंग और परा-चिकित्सा संस्थाओं के वित्तीय स्रोत ऐसे होने चाहिए ताकि उसके निरंतर रखरखाव और कार्य के लिये सम्यक् उपबंध किया जाए,

(च) संबध्द मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारीवृन्द की संख्या और अर्हताएँ और संबध्द संस्थाओं के कर्मचारियों का पारिश्रमिक और सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होगी जैसा कि विहित की जाए और अध्ययन पाठ्यक्रमों, अध्यापन या प्रशिक्षण या अनुसंधान दक्षतापूर्वक करने के लिये सम्यक् उपबंध बनाने के लिये पर्याप्त होंगी,

(छ) सभी अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारी की सेवाएँ और संबध्दता की जानेवाली संस्थाओं की आवश्यक सुविधाएँ, बोर्ड की परीक्षा संचालित कराने और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये संस्थान द्वारा उपलब्ध की जायेंगी,

(ज) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी किये गये निदेशों और आदेशों का अनुपालन किया जायेगा,

(झ) बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना, प्रबंधमंडल का बदलाव या अन्तरण नहीं किया जाएगा,

(ञ) सरकार की पूर्वानुमति के बिना, कोई संस्था बन्द नहीं की जायेगी।

(२) संस्था जो अन्य बोर्ड का भाग है उसे जब तक, "निराक्षेप प्रमाणपत्र" मूल बोर्ड द्वारा नहीं दिया जाता तब तक, संबध्दता के लिये विचार नहीं किया जायेगा ।

अनुज्ञा के लिये प्रक्रिया।

२८. (१) बोर्ड, भारतीय नर्सिंग अधिनियम, १९४७ और इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार पराचिकित्सा शिक्षा संबंधी केंद्र सरकार द्वारा जारी निदेशों के अधीन अधिकथित मानकों के अवलोकन द्वारा नवीन नर्सिंग और पराचिकित्सा संस्था शुरू करने के लिये अनुमति मंजूर कर सकेगी । सन् १९४७ का ४७।

(२) नई संस्था शुरू करने के लिये अनुज्ञा चाहनेवाला प्रबंधमंडल, जिस वर्ष के लिए अनुज्ञा चाहता है उस पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिनांक के पूर्व बोर्ड के सदस्य सचिव को विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा ।

(३) बोर्ड, विहित समय के भीतर निरीक्षण फीस की अदायगी की प्राप्ति के बाद निरीक्षण करेगी और राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(४) उपर्युक्त विहित समय-सीमा के भीतर, प्राप्त सभी ऐसे आवेदनों की, बोर्ड द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उस वर्ष के दिसम्बर के अंतिम दिन को या के पूर्व सरकार को अग्रेषित की जायेगी ।

(५) बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये आवेदनों में से सरकार ऐसी संस्थाओं को अनुज्ञा देगी जिसे वह अपने अत्यंतिक विवेकाधिकार में सही और उचित समझे, जिसमें सरकार बजट स्रोंतो को ध्यान में लेकर नवीन संस्था शुरू करने के लिये अनुज्ञा चाहनेवाली प्रबंधमंडलो की उपयुक्तता और नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा के लिये संस्थाओं के स्थान संबंधी राज्य स्तर पर प्राथमिकता देकर विचार कर सकेगी :

परन्तु, आपवादिक मामले में और लिखित में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों के लिये किसी आवेदन को बोर्ड द्वारा सिफारिश नहीं दी गई है तो नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा की नवीन संस्था शुरू करने के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा ।

(६) किसी भी आवेदन पर नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा की नई संस्था शुरू करने के लिये अनुज्ञा देने के लिये सरकार के ज़रिए सीधे विचार नहीं किया जायेगा ।

संबद्धता के लिये प्रक्रिया।

२९. (१) धारा २८ के अधीन सरकार से अनुज्ञा प्राप्त होने पर, बोर्ड, उप-धारा (२) में दी गई निम्न विहित प्रक्रिया अपनाकर नई संस्था को पहली बार संबध्दता देने और संस्था द्वारा अनुबद्ध शर्तों को चाहे पूरा किया गया है या नहीं पर विचार करेगी । इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

(२) संबध्दता प्रदान करने के लिए आवेदन का विचार करने के प्रयोजनार्थ, बोर्ड, उस प्रयोजन के लिए समिति तैयार करेगी ।

(३) बोर्ड विचार करेगी कि,—

(क) क्या संबध्द किया जाना मंजूर किया जाए या नामंजूर किया जाए ;

(ख) क्या संबध्द किया जाना संपूर्ण रूप से या अंशतः मंजूर किया जाए ;

(ग) विषय, अध्ययन के पाठ्यक्रम और प्रवेश दिये जानेवाले छात्रों की संख्या ;

(घ) शर्तें, यदि कोई हो, जो संबध्द किये जाते समय अनुबध्द की जायेगी ।

(४) सदस्य-सचिव, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान को उसकी एक प्रतिलिपि से बोर्ड के निर्णय को संसूचित करेगा और यदि संबध्दता के लिये आवेदन संबंधित सूचना के साथ मंजूर किया गया है तो,–

(क) संबध्दन के लिये अनुमोदित अध्ययन के विषय और पाठ्यक्रम ;

(ख) प्रवेश दिये जानेवाले छात्रों की संख्या ;

(ग) शर्तें, यदि कोई हो, जिसकी पूर्ति के अध्यधीन अनुमोदन मंजूर किया गया है ।

(५) धारा २८ में निर्दिष्ट प्रक्रिया, नये पाठ्यक्रमों, अतिरिक्त सुविधाएँ नये विषयों और अतिरिक्त विभाजन शुरू करने की अनुज्ञा के लिये **यथा आवश्यक परिवर्तन सहित** लागू होंगी ।

(६) छात्रों को जब तक बोर्ड द्वारा प्रथम बार संबध्दता नहीं दी जाती है तब तक संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

(७) उप-धाराएँ (१) से (४) में निर्दिष्ट प्रक्रिया समय-समय से संबध्दता जारी रखने के लिए विचार करने के लिये **यथा आवश्यक परिवर्तन** सहित लागू होंगी ।

संबद्धता का जारी रहना।

३०. संबध्द संस्था, ऐसे संबध्दता के अवसान के दिनांक से साधारणतः छह महीने पूर्व जिसके लिये संबध्दता अनुमत थी उस अध्ययन पाठ्यक्रम के लिये संबध्दता जारी रखने के लिये आवेदन कर सकेगी । बोर्ड, संबध्दता देने के लिये जहाँ तक हो सके, धारा २७, २८ और २९ में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ।

संबद्धता का विस्तार।

३१. संबध्द संस्था, अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिये संबध्दता के लिये आवेदन कर सकेगी । बोर्ड, संबध्दता देने के लिये जहाँ तक हो सके, धारा २७, २८ और २९ में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ।

स्थायी संबद्धता और मान्यता।

३२. संबध्द संस्था कम से कम छह वर्षों तक संबध्द संस्था के रूप में अवस्थित है तो, स्थायी संबध्दता के लिये आवेदन कर सकेगी । बोर्ड, आवेदन पर विचार और संवीक्षा करेगी और जब समाधान हो जाता है कि संबध्द संस्था ने आवेदन की सभी शर्तें सन्तोषजनक रूप से पूरी की है और समय-समय से यथा विहित उच्च, अकादमिक और प्रशासकीय मानकों को प्राप्त किया है तो बोर्ड, संस्था को स्थायी संबध्दता प्रदान करेगी ।

संस्था की जाँच और रिपोर्ट।

३३. (१) प्रत्येक संबध्द संस्था, ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ और अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगी जिसे बोर्ड संस्था के अकादमिक मानकों और प्रशासन मानकों को न्यायनिर्णित करने के लिये समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो सकें ।

(२) अध्यक्ष, इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त एक या अधिक समितियों द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक संबध्द संस्था की जाँच करेगा ।

संबंद्धता या मान्यता का प्रत्याहरण।

३४. (१) धारा २७ में यथा उपबंधित संबध्दता की शर्तों से अनुपालन करने के लिये यदि संबध्द संस्था असफल होती है तो बोर्ड, प्रबंधमंडल को कारण दर्शाने की सूचना जारी कर सकेगी कि संस्था पर प्रदत्त विशेषाधिकारों का जिसे भागतः में या संपूर्णतया प्रत्याहरण या उपांतरित क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(२) बोर्ड, उपर्युक्त उल्लिखित कार्यवाही करने के प्रयोजन का आधार उल्लिखित करेगा और संस्था के प्रमुख या प्रधानाचार्य को सूचना की प्रतिलिपि भेजेगा । सूचना में अवधि भी विनिर्दिष्ट करेगा जो तीस दिनों से कम नहीं होगी जिसे प्रबंधमंडल सूचना के जबाब में अपना लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(३) उप-धारा (१) के अधीन ऐसे लिखित विवरण की प्राप्ति पर या जारी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर बोर्ड यदि कोई हो, ऐसे विशेषाधिकार के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिये कार्यवाही करेगी ।

(४) बोर्ड, संस्था में अध्ययनरत छात्रों के हितों से संबंधित इस निमित्त की जानेवाली कार्यवाही की सिफारिश सरकार को करेगी और तत्पश्चात्, सरकार सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये कार्यवाही करेगी ।

संस्था का बन्द करना।

३५. (१) किसी संस्था के प्रबंधमंडल को, सरकार की पूर्वानुमति के बिना, संस्था बन्द करने की अनुमति नहीं होगी ।

(२) संस्था को बन्द करने का इच्छुक प्रबंधमंडल, पूर्ववर्ती वर्ष के अप्रैल के अंतिम दिनांक को या के पूर्व पूर्ण बन्द करने के कारण और भवनों तथा उपकरणों, के प्ररुप में परिसम्मति बताते हुए उनकी मूल लागत, विद्यमान बाजार मूल्य और सरकार या लोकनिधि अधिकरणों से अब तक उसके द्वारा प्राप्त अनुदानों की संपत्तियों का विवरण प्रपत्र में देते हुए बोर्ड के पास आवेदन करेगा ।

(३) ऐसा किसी आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड निर्धारण के लिए उचित समझे ऐसी जाँच करायेगा और संस्था को बन्द करने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए इसका निर्धारण करेगा । बोर्ड, ऐसी जाँच कर सकेगी कि आवश्यक सहायता मुहैया करके या सरकार द्वारा संस्था अधिकार में लिये जाने या अन्य प्रबंधमंडल को अन्तरण द्वारा बन्द किये जाने को टाला जा सके या नहीं।

(४) यदि बोर्ड बन्द करने की सिफारिश का विनिश्चय करती है तो वह प्रबंधमंडल से वसूल की जानेवाली क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के परिमाण पर और सरकार या अन्य प्रबंधमंडल द्वारा मुहैया निधियों का उपयोग करके की गई सृजित परिसम्मति हस्तांतरित की जाए या न जाए और छटनी किये गये शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिकर की अदायगी के बारे में रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी ।

(५) यदि बोर्ड संबध्द संस्था के बन्द करने की सिफारिश करती है तो सरकार संस्था बन्द करने का आदेश जारी कर सकेगी ।

(६) यदि, सरकार, संस्था को अधिकार में लेने या उसे अन्य प्रबंधमंडल को अन्तरित करने का निर्णय लेती है तो, अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि सरकार द्वारा, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, अधिकथित किया जाए ।

(७) बन्द को चरणों में पूरा किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्था में पहले ही प्रवेश दिये गये छात्र प्रभावित नहीं हुए है, और यह कि प्रथम वर्ष पहले बन्द किया जायेगा और कोई नये प्रवेश नहीं दिये जायेगे । चरणों में बन्द करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि सरकार द्वारा **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा अधिकथित किया जाए ।

अध्याय पाँच

निधि, वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

बोर्ड के परिसम्पति की प्रयुक्ति।

३६. बोर्ड में निहित सभी सम्पतियाँ, निधि और अन्य परिसम्पतियाँ होंगी और इस अधिनियम के उपबंधों और प्रयोजनों के अध्यधीन, उसके द्वारा प्रयुक्त होगी ।

बोर्ड की निधि, उसकी अभिरक्षा और विनिधान।

३७. (१) बोर्ड की अपनी निधि होगी, और निम्न प्राप्तियाँ उसमें जमा की जायेगी, अर्थात्,—

(क) बोर्ड द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित शास्तियों समेत फीस, स्वामित्व, और प्रभार ;

(ख) सरकार द्वारा उसे दिये गये अनुदान, समनुदेशन, अंशदान और ऋण, यदि कोई हो ;

(ग) वसीयत, दान और विन्यास या अन्य अंशदान, यदि कोई हो ;

(घ) उसमें निहित किन्ही प्रतिभूतियों पर ब्याज और विक्रय का आगम ;

(ङ) उसमें निहित सम्पति से प्राप्त समस्त किराया और लाभ ;

(च) बोर्ड द्वारा या की ओर से प्राप्त अन्य धन राशि ।

(२) बोर्ड भारतीय स्टेट बैंक, या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४ में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा २२ के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लाईसेंस धारण करने या इस निमित्त सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य बैंक से चालू या जमा बचत खाते में अपनी निधि में से ऐसी रकम रखेगा जिसे विहित किया जाए और उक्त राशि से अधिक किसी रक़म का ऐसी रीत्या विनिधान किया जायेगा जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए । सन् १९३४ का २। सन् १९४९ का १०।

(३) ऐसे खाते, बोर्ड के ऐसे अधिकारियों द्वारा परिचालित किये जायेंगे जैसा कि इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये ।

निधि का साधारण उपयोजन।

३८. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड का निधि केवल इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मामलों से आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों की अदायगी के लिये और किसी अन्य प्रयोजन के लिये केवल किया जायेगा जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बोर्ड पर शक्तियाँ प्रदत्त की गई है या कर्तव्य अधिरोपित किये गये हैं ।

वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार करना।

३९. (१) बोर्ड, ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसी रीत्या जैसा कि विहित किया जाए अगले वित्तीय वर्ष के लिये बोर्ड का आय और व्यय का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा ।

(२) बोर्ड, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट दिनांक को या के बाद, अपने द्वारा तैयार किये गये बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और अपने द्वारा यथा अनुमोदित प्राक्कलन सरकार को उसकी मंजूरी के लिये प्रस्तुत करेगी । सरकार बजट प्राक्कलन के संदर्भ में ऐसे आदेश पारित करेगी जैसा कि वह उचित समझे और उसे बोर्ड को संसूचित करेगी । बोर्ड, ऐसे आदेशों को प्रभावी करेगी ।

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा।

४०. (१) बोर्ड ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में लेखा रखेगी जैसा कि विहित किया जाए।

(२) बोर्ड का लेखा, विनियामक परिषद के पूर्वानुमोदन से बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया जायेगा ।

(३) सरकार, यदि वह आवश्यक समझे बोर्ड के लेखा की लेखा संपरीक्षा के लिये एक विशेष लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगी ।

(४) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, विशेष लेखापरीक्षक बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसकी एक प्रतिलिपि सरकार को अग्रेषित करेगी ।

(५) उप-धारा (२) या (३) के अधीन लेखापरीक्षा का खर्च, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा ।

निरीक्षण और जाँच।

४१. (१) सरकार, बोर्ड के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे निदेश दे बोर्ड की मान्यता और उसे सहबद्ध किसी डिप्लोमा स्तर संस्थाओं के भवनों, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और उपस्करों का निरीक्षण करवाने और अध्यापन या किसी ऐसे नर्सिंग या पराचिकित्सा संस्थान द्वारा संचालित अन्य कार्य और बोर्ड की ओर से ली जानेवाली किसी परीक्षा संचालित करने ; और बोर्ड से संबंधित किसी मामले के संबंध में उसी रीत्या की जानेवाली जाँच करवाने का अधिकार प्राप्त होगा । सरकार प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जाँच करवाने के अपने आशय की सम्यक् सूचना बोर्ड को देगी और बोर्ड को प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदार किया जायेगा जिसे कि ऐसा निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(२) सरकार, बोर्ड को निरीक्षण या जाँच के परिणामों के संदर्भ में अपने मत संसूचित करेगी और उस पर बोर्ड की राय अभिनिश्चित करने के बाद उसे की जानेवाली कार्यवाही पर अपना परामर्श देगी और ऐसी कार्यवाही करने के लिये समय-सीमा नियत करेगी ।

(३) बोर्ड, निरीक्षण या जाँच या परिणामों पर उसके लिये की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित, यदि कोई हो, ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को देगी । ऐसी रिपोर्ट, उस पर बोर्ड की राय सहित ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि सरकार निदेश दे ।

(४) जहाँ बोर्ड नियत समय के भीतर, सरकार का समाधान हो जानेतक कार्यवाही नहीं करती है तो बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण या दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी करेगी जिसे वह उचित समझे, और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

जानकारी, विवरणी आदि बोर्ड द्वारा दी जायेंगी ।

४२. (१) बोर्ड, सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और विवरण जैसा की सरकार द्वारा अपेक्षित हो और उसके कार्य से संबंधित किसी मामलों के बारे में और ऐसी अधिकतर जानकारी जैसा कि सरकार मांग करे, देगी ।

(२) सरकार, दी गई ऐसी किसी रिपोर्ट, विवरणी या विवरण या जानकारी पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश देगी, जो की आवश्यक हो, और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

अध्याय छह

अनुपूरक और विविध उपबंध

समिति को प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग की रीति ।

४३. इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियाँ जिन्हें कि विनियम द्वारा बोर्ड द्वारा समिति को प्रत्यायोजित किया गया है, के प्रयोग से संबंधित सभी मामलें उस समिति को अंतरित किये जायेंगे और बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व प्रश्न मामलों के संबंध में उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होगी और उस पर विचार करेगी ।

विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति ।

४४. (१) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, विनियामक परिषद के अनुमोदन से विनियम बना सकेगी ।

(२) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्न समस्त या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा १९ के अधीन नियुक्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ;

(ख) परीक्षाओं का विषय और पाठ्यक्रम ;

(ग) परीक्षाओं के लिये परीक्षार्थियों के नियमित या बाहरी प्रवेश को विनियमित करनेवाली सामान्य शर्तें और पात्रता, उपस्थिति और चरित्र संबंधी विशिष्ट शर्तें जिसे पूरा करने पर किसी परीक्षा को किसी ऐसी परीक्षा में प्रवेश पाने और बैठने का अधिकार प्राप्त होगा ;

(घ) किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिये अपेक्षित अंक और संपूर्ण परीक्षा और किसी विषय में छूट, क्रेडिट और विशेष योग्यताएँ ;

(ङ) परीक्षा में प्रवेश के लिये फ़ीस और इन परीक्षाओं से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में देय अन्य फ़ीस और प्रभार ;

(च) परिक्षाओं के संचालन की व्यवस्था और परिणामों का प्रकाशन ;

(छ) पेपर-सेटरों, परीक्षकों, मध्यस्थों, पर्यवेक्षकों और परीक्षाओं से संबंधित अन्य आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति, परीक्षाओं के संबंध में उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य और उनका पारिश्रमिक और अदायगी का ढ़ंग ;

(ज) पेपर-सेटरों, परीक्षकों, मध्यस्थों, पर्यवेक्षकों और परीक्षाओं से संबंधित अन्य आवश्यक कार्मिकों की अर्हताएँ और अनर्हताएँ ;

(झ) प्रमाणपत्रों का देना ;

(ञ) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की उनके अपने कार्यालय में नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें ;

(ट) बोर्ड के उक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लाभ के लिये भविष्य निधि का गठन ;

(ठ) बोर्ड के वित्त का सभी बारे में नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षा अभिरक्षा और प्रबंधन ;

(ड) वह दिनांक जिससे पूर्व और वह रीति जिसमें बोर्ड अपना बजट प्राक्कलन तैयार करेगा ;

(ढ) बोर्ड और उसके द्वारा नियुक्त समितियों के सदस्यों द्वारा लिया जानेवाला क्षतिपूर्ति भत्ता ;

(ण) परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिये सरकार और सहायता प्राप्त और सहायता अप्राप्त संस्था से अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति ;

(त) अन्य कोई मामला जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाएगा या विहित किया जा सकेगा ।

(३) इस धारा के अधीन किये गये विनियम जब तक उसके समान सरकार द्वारा मंजूर नहीं किये जाते हैं और बोर्ड द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित नहीं किये जाते हैं, तब तक प्रभावी नहीं होंगे ।

प्रथम विनियम.

४५. (१) धारा ४४ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम विनियम सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और **राजपत्र** में प्रकाशित किये जायेंगे और वह उक्त धारा के अधीन नविन विनियम सम्यक्तया बनाये जाने और मंजूर होने तक प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

(२) यदि किसी समय, सरकार को यह प्रतीत हो कि धारा ४४ में निर्दिष्ट किन्ही मामलों के संबंध में कोई नया विनियम बनाना या उप-धारा (१) में निर्दिष्ट या धारा ४४ के अधीन बोर्ड द्वारा बनाये गये किन्ही विनियमों में पूर्णतः या अंशतः उपांतरित या निरसित करना इष्टकर है तो सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा ऐसा विनियम बना सकेगी; या किसी ऐसे विनियमों में संपूर्णतया या अंशतः उपांतरित या निरसित कर सकेगी इस प्रकार बनाये गये, उपांतरित या निरसित विनियम ऐसे दिनांक से जिसे सरकार ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें या यदि ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया है तो **राजपत्र** में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे दिनांक से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ी गई किसी बात को छोड़कर प्रभावी होंगे ।

उप-विधियाँ बनाने की बोर्ड की शक्ति ।

४६. (१) बोर्ड, निम्न सभी या किन्ही मामलों का उपबंध करने के लिये इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए विनियमों से संगत उप-विधियाँ, बना सकेगी, अर्थात् –

(क) बोर्ड और उसके द्वारा नियुक्त समितियों के बैठक में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया और ऐसी बैठकों की गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या ;

(ख) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये विनियमों द्वारा जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है, बोर्ड और उनकी समितियों से संबंधित केवल किसी अन्य मामले ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन की गई उप-विधियाँ, बोर्ड द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित की जायेगी ।

संदेह के मामले में निर्वचन ।

४७. यदि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये विनियमों या उप-विधियों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो वह मामला सरकार के निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जा सकेगा और इस प्रकार सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा यदि बोर्ड के तीन से अनून सदस्य ऐसी अपेक्षा करते है। उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

बोर्ड के कर्तव्य और नर्सिंग डिप्लोमास्तर संस्थाओं से सहायता ।

४८. सभी मान्यताप्राप्त और स्वायत्त डिप्लोमा स्तर संस्थाएँ, बोर्ड को ऐसी मदद और सहायता करेगी जिसे बोर्ड को अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का अनुपालन और कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक हो सके ।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

४९. सरकार, शासी परिषद, बोर्ड या सदस्य या सरकार या शासी परिषद या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध, इस अधिनियम या किसी विनियम या उप-विधियों के अनुसरण में, उसके द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई या करने के लिये तात्पर्यित या आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी ।

बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोकसेवक होंगे ।

५०. बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने लिये तात्पर्यित होते समय, भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे ।

सन् १८६० का ४५।

सन् १९६६ का महा. ४०।

सन् १९६६ का महा. ४० में संशोधन ।

५१. महाराष्ट्र नर्सेस अधिनियम, १९६६, नियत दिन से, विस्तार के संशोधनो तक बना रहेगा और इस अधिनियम के अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट रित्या में होगा ।

सन् १९६६ का महा. ४० ।

व्यावृत्ति।

५२. (क) महाराष्ट्र नर्सेस अधिनियम, १९६६ की धारा ११ के अधीन गठित महाराष्ट्र नर्सिंग परिषद की प्रत्येक समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यथासाध्य शीघ्र आवश्यक होगी परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में पुनर्गठित होगी।

(ख) रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, प्रणाली विश्लेषक, वित्त अधिकारी और लेखा अधिकारी और उक्त परिषद का कोई कर्मचारी नियत दिन के ठिक पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने तक उक्त पद धारण करना जारी रखेंगे।

(ग) उक्त परिषद की संबद्ध सभी संस्था नियत दिन के सद्य पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनकी संबद्धता प्रत्याहत या पुनर्विचारार्थ है तक इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की संबद्धता समझी जायेगी।

(घ) सभी शैक्षणिक संस्था तुरंत उक्त परिषद के मान्यता और प्रवेशित किसी विशेषाधिकार के लिये नियत दिन के पूर्व इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के उसी प्रकार के मान्यता और प्रवेशित विशेषाधिकार के लिए हकदार समझी, मान्यता और प्रवेशित असामाजिक प्रतिबंधित या परिवर्तित किये गये या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किये जायेंगे ।

(ङ) इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से संबंधित और नियत दिन के सद्य पूर्व, उक्त परिषद द्वारा स्वीकृत या प्राप्त और उसके द्वारा धारित समस्त उपकृति इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा स्वीकृत, प्राप्त या धारित समझी जायेगी और समस्त शर्ते जिन पर ऐसी उपकृतियाँ स्वीकृत प्राप्त या धारित की गई थी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी शर्तें इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों से असंगत है, इस अधिनियम के अधीन मान्य समझी जायेंगी ।

(च) इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से संबंधित नियत दिन के सद्य पूर्व उपगत और बोर्ड के प्रयोजनों के लिये या के संबंध में प्रतिविधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएँ बोर्ड द्वारा उन्मोचित और तुष्ट की जायेंगी।

(छ) बोर्ड के प्रयोजनों के लिये या के संबंध में नियत दिन के पूर्व बनाया गया कोई विल, विलेख या अन्य दस्तावेज जिनमें उक्त परिषद के पक्ष में कोई वसीयत, दान, निबंधन या न्यास किया गया है इस अधिनियम के प्रारम्भण को और से उनका ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो कि उक्त परिषद के बजाय उसमें बोर्ड का नाम दिया गया है।

(ज) किसी अधिनियमिति या किसी अधिनियमिति के अधीन जारी अन्य लिखतों में उक्त परिषद के सभी संदर्भ इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के उद्देश्यों और प्रयोजनों के संदर्भ में है तो नियत दिन से पूर्व तुरंत इस अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड के प्रति निर्देश है।

(झ) नियत दिन के सद्य पूर्व आदेशों और अस्तित्वयुक्त विधितः की गई प्राश्निक, परीक्षकों, नियामक, पर्यवेक्षक और अन्य कार्मिकोंकी नियुक्ति, बोर्ड के लिये इस अधिनियम के अधीन और उक्त कृत्यों के प्रयोजनों के लिये की गई समझी जायेगी और ऐसे अधिकारियों की, जब तक इस अधिनियम के अधीन नई नियुक्तियाँ नहीं की जाती हैं, वे पद पर बने रहेंगे और अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करते रहेंगे।

(ञ) तुरन्त नियत दिन से पूर्व नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को उपयुक्त सेवा विनियम इस अधिनियम के अधीन विहित किये गये समझे जायेंगे और इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रवृतमान में शेष बने रहने के लिये जब तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में अतिष्ठित या उपांतरित है।

(ट) बोर्ड के प्रयोजनों के लिये या के संबंध में उक्त परिषद तुरन्त नियत दिन से पूर्व नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये या जारी की गई समस्त सूचनायें और आदेशों या परिपत्रकों जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जब तब वे अतिष्ठित या उपांतरित न हो बनाये या जारी किये गये समझे जायेंगे।

कठिनाई को दूर करने की शक्ति ।

५३. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार जैसा अवसर अपेक्षित करे परन्तु, नियत दिन से दो वर्षों के बाद नहीं **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से असंगत न हो, जो कि उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, यथा संभव शीघ्र उसके बनाये जाने के पश्चात् राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

" अनुसूची

(धारा २ ड़ देखिए)

अनु-क्रमांक	प्रदेश का नाम	प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्र
(१)	(२)	(३)
१	मराठवाडा	औरंगाबाद, बीड़, हिंगोली, जालना, लातुर, नांदेड, परभणी और उस्मानाबाद जिले।
२	विदर्भ	अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढ़ाणा, चंद्रपुर, गड़चिरोली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल जिले।
३	शेष महाराष्ट्र	अहमदनगर, धुलिया, जलगाँव, कोल्हापूर, मुंबई, नंदूरबार, नासिक, पूना, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग और सोलापूर जिले । "

व्यावृत्ति।

अनुसूची २

(देखिए धारा ५१)

सन् १९६६ का ४०। महाराष्ट्र नर्सेस अधिनियम, १९६६ में,–

(क) खण्ड़ २ के,–

(एक) खण्ड़ (क) में, " उप-विधियाँ " शब्दों के पश्चात्, निम्न ज़ोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" या, यथास्थिति, महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, २०१३ के उपबंधो के अनुसार और तद्धीन बनाये गये उप-विधियों के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग और पराचिकित्सा शिक्षा बोर्ड को संबद्ध होंगे " ;

सन् २०१३ का महा. २३।

(दो) खण्ड़ (ङ), अपमार्जित किया जायेगा ;

(तीन) खण्ड़ (ण) में, " उप-विधियों " शब्दों के पश्चात्, निम्न ज़ोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" या, यथास्थिति, महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग और परा-चिकित्सा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, २०१३ के उपबंधो के अनुसार और तद्धीन बनाये गये उप-विधियों के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग और परा-चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होगी " ;

सन् २०१३ का महा.।

(चार) खण्ड़ (त) में, ' पाँच ' शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) धारा ३ की, उप-धारा (३) के, खण्ड़ (ख) में,–

(एक) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न रखा जायेंगा, अर्थात् :–

" (एक) तीन क्षेत्रों से एक सदस्य उनमें से सुसंगत क्षेत्र के अधीन रजिस्टर में पंजीकृत परिचारिकाओं द्वारा निर्वाचित किया जानेवाला ; " ;

(दो) उप-खण्ड (२) अपमार्जित किया जायेगा ;

(तीन) उप-खण्ड (तीन) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (तीन) संबद्ध संस्था उनमें से मेट्रनों द्वारा निर्वाचित किया जानेवाला एक सदस्य ; " ;

(चार) उप-खण्ड़ (चार) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (चार) तीन क्षेत्रों से एक सदस्य उनमें से संबद्ध संस्थाओं के सिस्टर शिक्षक और चिकित्सालय प्रशिक्षक द्वारा निर्वाचित किये जानेवाले ; " ;

(पाँच) उप-खण्ड (सात) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (सात) महाराष्ट्र में नर्सिंग शिक्षा संस्थाओं के समेत उनमें से नर्सिंग के मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों या विद्यालयों के प्रमुख (प्राचार्यों) द्वारा निर्वाचित किया जानेवाला एक सदस्य ; " ;

(ग) धारा १० के खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज़), (झ), (ञ), (ट) और (ठ) अपमार्जित किये जायेंगे ;

(घ) धारा १२ अपमार्जित की जायेगी ;

(ङ) धारा १३ में, " परीक्षा बोर्ड और के " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(च) धारा १४ की उप-धारा (२) का खण्ड (ग) अपमार्जित किया जायेगा ;

(छ) धारा १५ की उप-धारा (६) में, " और परीक्षा बोर्ड " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ज) **शीर्षक अध्याय-चार-प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता और संस्थाओं की संबद्धता,** और धारा २५ और २६ अपमार्जित की जायेगी ;

(झ) धारा ३८ की उप-धारा (२) का खण्ड (ङ) अपमार्जित किया जायेगा ;

(ञ) धारा ३९ की उप-धारा (१) के लिये निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :–

(१) परिषद्, "राज्य सरकार के पूर्व मंजुरी से इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के साथ असंगत, उपविधियाँ असंगत नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा कर्तव्य और कृत्यों के अनुपालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये आवश्यक समझे जाये ऐसे मामलों के लिये होंगे।" ;

(ट) अनुसूची के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :–

" अनुसूची

[देखिए धारा २ का खण्ड़ (त)]

अनु-क्रमांक (१)	प्रदेश का नाम (२)	प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्र (३)
१	मराठवाड़ा	औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी और उस्मानाबाद जिले ।
२	विदर्भ	अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढ़ाना, चंद्रपुर, गड़चिरोली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल जिले ।
३	शेष महाराष्ट्र	अहमदनगर, धुलिया, जलगाव, कोल्हापूर, मुंबई, नंदूरबार, नासिक, पुना, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग और सोलापूर जिले । "

(यथार्थ अनुवाद),

ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2013.

THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS' PENSION (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS' PENSION ACT, 1976.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २१ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य पेंशन अधिनियम, १९७६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

सन् १९७७ का महा. १।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य पेंशन अधिनियम, १९७६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए ।

सन् १९७७ का महा. १ की धारा ३ में संशोधन।

सन् १९७७ का महा. १।

२. महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य पेंशन अधिनियम, १९७६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ की उप-धारा (१) में,–

(क) " पच्चीस हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " चालीस हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) प्रथम परन्तुक में, " एक हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " दो हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९७७ का महा. १ की धारा ४क में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४क की, उप-धारा (२घ) में, " १ मई २०११ से पच्चीस हजार रुपये की दर से " शब्दों और अंको के स्थान में, " १ अगस्त २०१३ से, चालीस हजार रुपये की दर से " शब्द और अंक रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2013.

THE BOMBAY SHOPS AND ESTABLISHMENT (AMENDMENT) ACT, 2011.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक १८ अक्तूबर, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE BOMBAY SHOPS AND ESTABLISHMENT ACT, 1948.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५, सन् २०१३।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक ११ नवम्बर, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

बम्बई दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४८ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, बम्बई दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४८ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९४८ का बम्बई ७९।

संक्षिप्त नाम ।

१. (१) यह अधिनियम बम्बई दुकान तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, २०११ कहलाए ।

सन् १९४८ का बम्बई ७९ की धारा ७ में संशोधन।

२. बम्बई दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४८ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ७ की,— सन् १९४८ का बम्बई ७९।

(क) उप-धारा (२-क) में " उस वर्ष के अन्त तक, जिसमें वह अनुदत्त किया गया है " शब्दों के स्थान में, " जिस दिन वह अनुदत्त या नवीकृत किया गया है उस दिन से बारह महीने की अवधि के लिए " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२-ख) में, " उस अवधि के लिए फीस की अदायगी पर, एक समय तीन वर्ष की अवधि के लिए, ताकि उस वर्ष से तथा समेत तीन वर्ष की समाप्ति तक वैध रह सके, जिसमें वह अनुदत्त या यथास्थिति, नवीकृत किया गया है " शब्दों के स्थान में निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" उस अवधि के लिए फीस की अदायगी पर एक समय में छत्तीस महीने की अवधि के लिए, ताकि उस दिन से छत्तीस महीने के अन्त तक वैध रह सके, जिस दिन वह अनुदत्त या, यथास्थिति, नवीकृत किया गया है "।

सन् १९४८ का बम्बई ७९ की धारा ११ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ११ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) में, " रात्रि ८-३० के बाद बन्द कर दिये जायेंगे " शब्दों तथा अंको के स्थान में, " रात्रि १०-०० के बाद बन्द कर दिये जायेंगे " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ल. शि. देठे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.